



BRLF

भारत रूरल
लाइवलीहुड्स फाउंडेशन

वार्षिक रिपोर्ट

2022-23





BRLF
भारत रूरल
लाइवलीहुड्स फाउंडेशन

सरकारों के साथ साझेदारी में सिविल सोसाईटी के कार्यों को उन्नत करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संस्था

वार्षिक रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष: 2022–23



विषय-सूची

अध्यक्ष का संदेश	6
भारत रुरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन: परिचय	8
भौगोलिक विस्तार	10
बीआरएलएफ अंतः क्षेत्रों का प्रभाव	12
बीआरएलएफ के गुणात्मक प्रभाव: उत्तोलन	12
निधि प्रबंधन	14
बीआरएलएफ परियोजनाओं का प्रभाव	15
कृषि में सुधार	15
प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	15
पशुधन विकास	16
महिला नेतृत्व वाली संस्थाओं का विकास	16
अधिकारों और हकदारियों तक पहुँचना	17
बीआरएलएफ के विभाग:	18
कार्यक्रम विभाग	18
क्षमता निर्माण विभाग	18
अनुसंधान और सूचना प्रबंधन कार्यक्षेत्र	18
बीआरएलएफ कार्यक्रम:	20
कार्यक्रम का विजन	20
सिविल सोसायटी संगठनों (सीएसओ) को सुविधाएँ प्रदान करना	22
राज्य भागीदारी परियोजनाएँ:	23
उषरमुक्ति परियोजना, पश्चिम बंगाल	23
कृषि उत्पादन क्लस्टर परियोजना, ओडिशा	26
छत्तीसगढ़ हाई इम्पैक्ट मेगा वाटरशेड परियोजना	30
जीवी दा: हासा – उच्च प्रभाव मेगा वाटरशेड परियोजना, झारखंड	32
तेलंगाना राज्य में सामुदायिक वन अधिकार कार्यान्वयन को मजबूत करना	34
उच्च प्रभाव आजीविका संवर्धन परियोजना, महाराष्ट्र	36
मानव विकास सूचकांक परियोजना में सुधार, महाराष्ट्र	39
राज्य भागीदारी नई परियोजनाएँ:	40
बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र, असम में कमजोर परिवारों के जीवन और आजीविका में परिवर्तन	40
हाई इम्पैक्ट मेगा वाटरशेड परियोजना, महाराष्ट्र	41
साझेदारी वाली अन्य परियोजनाएँ:	42
उत्कल एक्शन फॉर एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना – ओडिशा	42
गैर-अधिसूचित जनजातियों/घुमंतू जनजातियों की आजीविका में सुधार परियोजना, महाराष्ट्र	43
आदिवासी परिवारों की आजीविका में सुधार, मध्य प्रदेश	44
क्षमता निर्माण:	46
विकास प्रबंधन में एमबीए करवाना	46
ग्रामीण आजीविका में प्रमाणपत्र कार्यक्रम	49
ग्रीन हब सेंटरल इंडिया यूथ फेलोशिप और वीडियो फॉर चेंज	51
मूल्यांकन, सीख और पोषण के लिए संगठनात्मक परिवर्तन पहल (OCEAN)	53
राजमिस्त्री और बढई के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम – मध्य प्रदेश	55
छत्तीसगढ़ और झारखंड के आठ सीएसओ भागीदारों के लिए स्थानीय धन संग्रहण प्रशिक्षण	57
अनुसंधान एवं ज्ञान प्रबंधन:	58
पुस्तक विमोचन: जनजातीय विकास रिपोर्ट: खंड 1 और 2	58
बोडोलैंड पर वर्किंग पेपर शृंखला	59
संसाधन संग्रहण	62
प्रशासन व्यवस्था:	65
पारदर्शिता और जवाबदेही	65
संगठनात्मक संरचना	66
वित्त एवं लेखा	67

अध्यक्ष का संदेश

मैं वित्त वर्ष 2022-23 के वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ, यह ऐसा वर्ष है जो भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन (बीआरएलएफ) की उल्लेखनीय यात्रा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाएगा। वर्ष 2023 में हमारे अस्तित्व को दस वर्ष पूरे हो जाएंगे। इसी खुशी में हम, हमारे द्वारा भारत के जनजातीय लोगों के लिए समर्पित सेवा में बिताए गए इन महत्वपूर्ण 10 वर्षों का उत्सव भी मना रहे हैं। सरकारों के साथ साझेदारी में सिविल सोसाइटी की कार्रवाई को मजबूत करने के हमारे लक्ष्य ने निश्चित रूप से ग्रामीण समुदायों के जन-जीवन और आजीविका के उत्थान में सहायता की है।

बीआरएलएफ का विशेष विकास प्रतिमान इन दस परिवर्तनकारी वर्षों में हमारा मार्गदर्शक रहा है। हमने एक ऐसे मॉडल का अनुसरण किया है जो सरकारी निकायों, निजी परोपकारियों, उद्योग जगत, नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) और अन्य प्रमुख हितधारक समूहों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ता है। इस सहयोगात्मक विजन ने मध्य भारतीय आदिवासी क्षेत्रों में सिविल सोसाइटी के कार्यों को सुविधाजनक बनाया है और विस्तृत किया है। हमारा प्रसार अब 10 राज्यों तक पहुँच चुका है, जिसमें 93 जिले, 263 ब्लॉक, 3,782 ग्राम-पंचायतें और 20,001 गाँव शामिल हैं।

हम ग्रामीण गरीबों की सम्मानजनक आजीविका और गरिमापूर्ण जीवन हेतु काम करने के लिए दृढ़तापूर्वक प्रतिबद्ध हैं। हमारी स्थापना के बाद से, हमने 12,23,165 परिवारों के जीवन तक पहुँच बनाई है। वित्त वर्ष 2022-23 में हमारी पहल से अतिरिक्त 185,847 परिवारों को प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जल संचयन, ग्रामीण आजीविका, सामुदायिक वन अधिकार जैसे क्षेत्रों में लाभ हुआ है। गौरतलब है कि इनमें से 77 प्रतिशत परिवार ऐसे अनुसूचित जनजातियों के हैं, जिन्हें सशक्त बनाना हमारे अटूट समर्पण को और भी मजबूत बनाता है।

वर्ष 2013 में बीआरएलएफ की स्थापना हुई थी जो कि भारत सरकार की प्रतिबद्धता के साथ 500 करोड़ रुपये का कोष प्रदान करने के लिए की गई थी। समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के बाद, बीआरएलएफ को 200 करोड़ रुपये की पहली किस्त प्राप्त हुई। इसके अलावा, बीआरएलएफ को निजी स्रोतों और अन्य निकायों से धन जुटाने का आदेश दिया गया था। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि, वित्त वर्ष 2022-23 के अंत तक, हमारी समर्पित टीम ने पिछले छह वर्षों में 76.15 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता सफलतापूर्वक हासिल की है। जो संसाधन हमारे पास हैं उनका एक प्रभावशाली, अपरिहार्य और महत्वपूर्ण हिस्सा, संचालन के अनिवार्य क्षेत्रों में सरकार द्वारा समर्थित परियोजनाओं के लिए आवंटित किया गया है।

अनुदान प्राप्त करने के प्रति हमारा विजन मुख्य रूप से परियोजना प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के माध्यम से संस्थागत वित्त पोषण के इर्द-गिर्द घूमता है, जैसे कि सीएसओ फाउंडेशन और अन्य वित्त पोषण एजेंसियाँ। विशेष रूप से, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, ऐक्सिस बैंक फाउंडेशन ने छत्तीसगढ़ में दो वर्ष लंबी अवधि की हाई इम्पैक्ट मेगा वाटरशेड परियोजना (चरण दो) को वित्त पोषित करके हमारे काम में सहायता की। बीआरएलएफ टीम ने बोडोलैंड, असम में ट्रांसफॉर्मिंग लाइव एंड लाइवलीहुड प्रोजेक्ट के लिए धन सहायता भी जुटाई है। हमने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ साझेदारी शुरू की है, जो बीआरएलएफ के सहयोग से बोडोलैंड, असम के पाँच सीएसओ को सीधे अनुदान प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, परोपकारी लोगों का एक समूह 'केयरिंग फ्रेंड्स' है जो कि असम के बोडोलैंड क्षेत्र में ट्रांसफॉर्मिंग लाइव एंड लाइवलीहुड परियोजना को आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए आगे आया है।

हमारे विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ हमारी साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। छोटी संस्थाओं के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान देने के साथ 79 सीएसओ को हमारा समर्थन, जमीनी स्तर के विकास और नागरिक समाज की कार्रवाई के विस्तार के लिए हमारी प्रतिबद्धता का एक उदाहरण है।

'आपसी सहयोग' बीआरएलएफ के आधारभूत मूल्यों में से एक है और यही हमारी सफलता की आधारशिला है। इस वर्ष, हमने बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र, असम और महाराष्ट्र तक अपनी पहुँच का विस्तार किया है, जहाँ यह सबसे अधिक मायने रखता है वहाँ बदलाव लाने के लिए हमारे निरंतर समर्पण को प्रदर्शित करता है। बीआरएलएफ

झारखंड और मध्य प्रदेश में राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों (एसपीएमयू) का भी प्रबंधन करती है, सभी हितधारकों के साथ सक्रिय जुड़ाव को बढ़ावा देती है और इस प्रकार हमारी परियोजनाओं की सफलता सुनिश्चित करती है। इसके अतिरिक्त, बीआरएलएफ ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में एसपीएमयू का समर्थन करती है, जिसे प्रमुख भागीदारों के रूप में नामित विश्वसनीय सीएसओ द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। हमने राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में 4292 करोड़ रुपये का प्रभावशाली लाभ उठाया है, जो कि हमारे विवेकपूर्ण संसाधन प्रबंधन का प्रतीक है। बीआरएलएफ द्वारा खर्च किए गए प्रत्येक रुपये के लिए, हम सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों से लगभग 31 रुपये का लाभ उठाते हैं।

हमारी क्षमता-निर्माण के लिए की गई पहल, जैसे कि 'विकास प्रबंधन में एमबीए' के लिए आदिवासी छात्रों का समर्थन करना और ग्रीन हब सेंट्रल इंडिया यूथ फैलोशिप, प्रतिभा को पोषित करने और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए हमारी प्रतिबद्धता दर्शाती है। बोडोलैंड और ओडिशा में परियोजनाओं सहित हमारे अनुसंधान के प्रयासों को आजीविका बढ़ाने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया है।

अगले 10 वर्षों के लिए सिविल सोसाईटी की कार्रवाई को मजबूत करने के लिए हम समानता, जवाबदेही और नवाचार के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। हमारी यात्रा अभी शुरू हुई है और यकीनन यह हमारे लिए एक लंबा पथ है, फिर भी मुझे विश्वास है कि हम, आपके समर्थन और भरोसे के साथ, आदिवासी और ग्रामीण समुदायों को समर्थन देने की अपनी खोज को जारी रखेंगे। मैं निष्ठापूर्वक उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस अविश्वसनीय यात्रा का हिस्सा रहे हैं और एक उम्मीद व कृतज्ञता के साथ आने वाले दस सालों के रोमांचक वर्षों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

डॉ. अजय दांडेकर
अध्यक्ष, बीआरएलएफ



भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन: परिचय

भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन (www.brllf.in) भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है जो भारत भर में सबसे कमजोर लोगों की आजीविका और जीवन को बदलने के लिए सरकार के साथ साझेदारी में नागरिक समाज के कार्यों को उन्नत करने में सहायता करती है और आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करती है।

बीआरएलएफ एक ऐसा सहयोग मॉडल लागू करती है जिसके द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और अन्य हितधारक समूहों के अंतर्गत यह सरकारों, निजी परोपकारों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ती है ताकि मध्य भारतीय प्राथमिक आदिवासी इलाकों के अन्दर नागरिक समाज के कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए और विस्तारित करने के लिए आवश्यक संसाधन संग्रहण किए जा सकें।

विजन: बीआरएलएफ वंचित ग्रामीण समुदायों, विशेषकर महिलाओं और आदिवासियों के लिए स्थायी आजीविका, समृद्धि, सशक्तिकरण और सम्मान प्रदान करवाने की संकल्पना करती है।

मिशन: बीआरएलएफ का मिशन है – सिविल सोसाईटी के कार्यों को बढ़ाकर सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ साझेदारी में वंचित ग्रामीण समुदायों के जीवन और आजीविका में सकारात्मक परिवर्तन लाना।

बीआरएलएफ के आधारभूत मूल्य:



सहयोग: बीआरएलएफ सहक्रियात्मक प्रभाव लाने के लिए सीएसओ, सरकारों और व्यवसायों के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान करती है।



पारदर्शिता और जवाबदेही: बीआरएलएफ ने सभी हितधारकों के प्रति पारदर्शिता रखने के लिए और उत्तरदायी होने के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) और सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) का अनुपालन करने का निर्णय लिया है।



नवप्रवर्तन: बीआरएलएफ, सरकारों के साथ साझेदारी करते हुए ग्रामीण आजीविका गतिविधियों में नवप्रवर्तनों की पहचान करती है और उन्हें उन्नत करती है।



समानता: बीआरएलएफ समाज के सबसे हाशिए पर रहने वाले और कमजोर वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और संसाधनों में उनकी उचित हिस्सेदारी का दावा करने के लिए उनके साथ खड़ी रहती है।



टीम वर्क: बीआरएलएफ अपने कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए टीम वर्क में विश्वास रखती है और इसे बढ़ावा भी देती है।



गुणवत्ता: बीआरएलएफ का कार्य है— जमीनी स्तर पर परिणामों की गुणवत्ता में सुधार करना और अपने सभी कार्यों में सर्वोत्तम गुणवत्ता का निर्धारण करना।

बीआरएलएफ का अधिदेश:

- कार्यक्रमों के परिचय और परिणामों के बीच के अंतर को पाटना।
- आदिवासी लोगों के बीच अलगाव की भावना को समाप्त करना और भारतीय लोकतंत्र में उनका विश्वास जगाना।
- सरकारी प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की गुणवत्ता में सुधार करना।
- परियोजनाओं के प्रबंधन और संस्थागत लागतों के लिए सिविल सोसायटी संगठनों (सीएसओ) को अनुदान सहायता प्रदान करना।
- मध्य भारतीय आदिवासी इलाकों के अन्दर समावेशी विकास की दिशा में राज्य सरकार, सिविल सोसाईटी, पंचायती राज संस्थानों और व्यवसायों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना।
- मध्य भारतीय आदिवासी इलाकों में अग्रिम पंक्ति के ग्रामीण पदाधिकारियों की क्षमता का निर्माण करना।
- कृषि और जल प्रबंधन में उन्नत समुदाय-आधारित संधारणीय प्रथाएँ लागू करना।

प्रमुख विषयगत क्षेत्र:

- समुदाय-आधारित संगठनों और महिला-नेतृत्व वाले संस्थानों की सुविधा के माध्यम से कृषि, जल, पशुधन और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में स्थायी आजीविका प्रथाओं को बढ़ाना
- व्यक्तियों और समुदाय-आधारित संगठनों के बीच बेहतर योजना, आजीविका रणनीति और क्रियाकलापों के लिए जमीनी स्तर पर क्षमता का निर्माण करना
- सरकारी योजनाओं और अधिकारों को बेहतर ढंग से प्राप्त करने के लिए सरकारों, सिविल सोसाईटी, निजी क्षेत्र, पंचायती राज संस्थानों और नागरिकों के बीच मजबूत साझेदारी को बढ़ावा देना।
- मुख्य रूप से सामुदायिक वन अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अधिकारों और हकदारियों तक पहुँच को मजबूत करना और ग्रामीण और आदिवासी आबादी के लिए वन अधिकार अधिनियम के तहत वन-आधारित आजीविका में सुधार करना
- सीमान्त और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों और विमुक्त और घुमंतु जनजातियों की सामाजिक योग्यता और आजीविका को मजबूत करना।

मूल्य प्रस्ताव:


- आजीविका सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री की पहल का समर्थन करना
- किसानों की आय में सतत वृद्धि करना
- सरकारी प्रमुख कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तकनीकी सहायता
- ग्रामीण आजीविका में सुधार के लिए नवप्रवर्तन करना।
- गैर-लकड़ी वन उपज और कृषि उपज के लिए मूल्य शृंखला का विकास करना
- राज्य सरकारों को नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और सिविल सोसाईटी संस्थाओं की भागीदारी के लिए एक विंडो प्रदान करना

बीआरएलएफ के कार्य संयुक्त राष्ट्र के अधिकांश सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप है।



Alignment with
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

भौगोलिक विस्तार



चल रही राज्य सरकार की भागीदारी परियोजनाएँ

3. महाराष्ट्र
4. मध्य प्रदेश
5. तेलंगाना
6. छत्तीसगढ़
7. ओडिशा
8. झारखंड
9. पश्चिम बंगाल
10. असम

पिछली परियोजनाएँ

1. गुजरात (परियोजनाएँ समाप्त)
2. राजस्थान (परियोजनाएँ समाप्त)



1,223,165

कुल परिवारों तक
बीआरएलएफ की
पहुँच

185,847

वित्त वर्ष 2022-23
में कुल परिवारों तक
पहुँच

77%

कुल अनुसूचित
जनजाति परिवार

नोट: आंकड़े 31 मार्च 2023 तक के हैं

बीआरएलएफ राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई:

1. राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई, रांची, झारखंड
2. राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई, कोकराझार, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद, असम
3. राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई, भोपाल, मध्य प्रदेश

बीआरएलएफ अंतः क्षेत्रों का प्रभाव

बीआरएलएफ के गुणात्मक प्रभाव: उत्तोलन

बीआरएलएफ के अनुसार उत्तोलन का अर्थ है किसी सरकारी कार्यक्रम या परियोजना के लाभ और प्रभाव को अधिकतम करने के लिए उपलब्ध धन, संसाधन और क्षमताओं का रणनीतिक उपयोग करना। योजनाओं और अधिकारों के माध्यम से सरकार के परिव्यय तक पहुँच प्राप्त करने में, एकल व्यक्तिगत प्रयासों की तुलना में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए इन संसाधनों का उपयोग किया जाता है।

उदाहरण के लिए, बीआरएलएफ, राज्य साझेदारी परियोजनाएँ शानदार परिणाम देने के लिए निजी क्षेत्रों के निवेश जैसे अन्य संसाधनों के साथ संयोजन करके सरकारी फंडिंग का लाभ उठाती है। इसमें सिद्ध हस्तक्षेपों को बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा लक्षित घरों तक पहुँच बनाना, संपत्ति बनाना, आजीविका उत्पादकता और विविधीकरण बढ़ाना और सामाजिक-आर्थिक परिणामों में सुधार करना शामिल हो सकता है।

राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में बीआरएलएफ परियोजनाओं ने 31 मार्च, 2023 तक 4292.00 करोड़ रुपये (42,920.00 मिलियन रुपये) का उत्तोलन किया है। वहीं पर, बीआरएलएफ ने संस्थागत, अनुदान-निर्माण और सीएसआर फाउंडेशन से परियोजनाओं को लागू करने के लिए सह-वित्त के रूप में 355.50 करोड़ रुपये (3555.00 मिलियन रुपये) जुटाए।

अपनी स्थापना के बाद से, बीआरएलएफ ने अपने संसाधनों के माध्यम से सीएसओ को अनुदान के रूप में 149.74 करोड़ रुपये (1497.40 मिलियन रुपये) का निवेश किया है। इसका अर्थ 31 मार्च, 2023 तक कुल उत्तोलन और सह-वित्त अनुपात 1:31 से है। बीआरएलएफ द्वारा निवेश किए गए प्रत्येक रुपये के लिए, यह सरकारी और गैर-सरकारी संसाधनों के माध्यम से लगभग 31 रुपये का लाभ उठाती है।

फंड का उत्तोलन: गुणात्मक प्रभाव



सरकारी योजनाओं द्वारा उत्तोलन

₹4,292.00 करोड़

सह वित्त (सीएसआर और संस्थागत सहभागिताएँ):

₹355.50 करोड़

बीआरएलएफ का सहयोग

₹147.90 करोड़

बीआरएलएफ द्वारा निवेश किया गया प्रत्येक रुपया सरकारी और गैर-सरकारी संसाधनों के माध्यम से लगभग 31 रुपये का लाभ उठाता है।



31 मार्च, 2023 तक परियोजना-वार उत्तोलन

				
<p>पश्चिम बंगाल</p> <p>परियोजना का नाम उषरमुक्ति परियोजना</p> <p>कुल उत्तोलन (करोड़ रुपये) (31 मार्च, 2023 संचयी तक) 2037.42</p> <p>कुल उत्तोलन (करोड़ रुपये) (वित्त वर्ष 2022-23) 234.42</p>	<p>छत्तीसगढ़</p> <p>परियोजना का नाम हाई इम्पेक्ट मेगा वाटरशेड परियोजना</p> <p>कुल उत्तोलन (करोड़ रुपये) (31 मार्च, 2023 संचयी तक) 1052.01</p> <p>कुल उत्तोलन (करोड़ रुपये) (वित्त वर्ष 2022-23) 309.44</p>	<p>ओडिशा</p> <p>परियोजना का नाम कृषि उत्पादन क्लस्टर परियोजना</p> <p>कुल उत्तोलन (करोड़ रुपये) (31 मार्च, 2023 संचयी तक) 525.57</p> <p>कुल उत्तोलन (करोड़ रुपये) (वित्त वर्ष 2022-23) 113.28</p>	<p>झारखंड</p> <p>परियोजना का नाम जीवी दारू हासा: हाई इम्पेक्ट मेगा वाटरशेड परियोजना</p> <p>कुल उत्तोलन (करोड़ रुपये) (31 मार्च, 2023 संचयी तक) 7.29</p> <p>कुल उत्तोलन (करोड़ रुपये) (वित्त वर्ष 2022-23) 7.29</p>	<p>महाराष्ट्र</p> <p>परियोजना का नाम जनजातीय विकास परियोजना</p> <p>कुल उत्तोलन (करोड़ रुपये) (31 मार्च, 2023 संचयी तक) 31.21</p> <p>कुल उत्तोलन (करोड़ रुपये) (वित्त वर्ष 2022-23) 17.42</p>
<p>परियोजना का नाम स्प्रिंग शेड परियोजना</p> <p>कुल उत्तोलन (करोड़ रुपये) (31 मार्च, 2023 संचयी तक) 7.91</p> <p>कुल उत्तोलन (करोड़ रुपये) (वित्त वर्ष 2022-23)</p>	<p>सीएफपी 1 और 2</p> <p>परियोजना का नाम नौ राज्यों में आजीविका भागीदारी परियोजनाएँ</p> <p>कुल उत्तोलन (करोड़ रुपये) (31 मार्च, 2023 संचयी तक) 630.59</p> <p>कुल उत्तोलन (करोड़ रुपये) (वित्त वर्ष 2022-23) 9.93</p>	<p>कुल योग</p> <p>कुल उत्तोलन (करोड़ रुपये) (31 मार्च, 2023 संचयी तक) 4292.00</p> <p>कुल उत्तोलन (करोड़ रुपये) (वित्त वर्ष 2022-23) 691.78</p>		



निधि प्रबंधन:

बीआरएलएफ ने अपनी स्थापना के बाद से 194.75 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। विशेष रूप से, इस व्यय के 154.26 करोड़ रुपये (79%) ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) द्वारा कोष के तहत आवंटित किया गया है, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा समर्थित परियोजनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण समर्पण पर जोर देता है। इसके साथ ही साथ, बीआरएलएफ द्वारा सीधे तौर पर जुटाई गई धनराशि 40.49 करोड़ रुपये (21%) है, जो अपनी विविध पहलों के लिए संसाधनों को सुरक्षित करने के संगठन के सक्रिय प्रयासों को दर्शाता है। यह संतुलित आवंटन प्रभावशाली विकास प्रयासों को चलाने के लिए बाहरी और आंतरिक रूप से उत्पन्न धन का कुशलतापूर्वक उपयोग करने की बीआरएलएफ की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

स्थापना के बाद से
बीआरएलएफ का कुल व्यय:

₹ 194.75 करोड़

MoRD कॉर्पस के तहत कुल
व्यय:

₹ 154.26 करोड़ (79%)

द्वारा जुटाई गई धनराशि के
तहत कुल व्यय:


₹ 40.49 करोड़ (21%)

विवरण	राशि ₹ करोड़ में
ए. ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) कॉर्पस पर प्राप्त ब्याज	169.22
सीएसओ अनुदान व्यय (कार्यक्रम)	119.43
सीएसओ अनुदान व्यय – ज्ञान भागीदार (कार्यक्रम)	5.82
सीएसओ अनुदान व्यय – ज्ञान भागीदार (क्षमता निर्माण)	4.72
अन्य व्यय	24.29
MoRD कॉर्पस के माध्यम से कुल व्यय	154.26
31 मार्च को समापन शेष	14.96
बी. दानदाताओं से प्राप्त अनुदान (सभी)	46.83
सीएसओ अनुदान व्यय (कार्यक्रम)	30.38
सीएसओ अनुदान-ज्ञान भागीदार (कार्यक्रम)	2.56
सीएसओ अनुदान-ज्ञान भागीदार (सीबी)	0.3
अन्य व्यय	7.25
संसाधन संग्रहण के प्रयासों द्वारा कुल व्यय	40.49



बीआरएलएफ परियोजनाओं का प्रभाव:

बीआरएलएफ की बड़े पैमाने की परियोजनाओं ने महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं, जिनके उल्लेखनीय परिणाम नीचे दिखाए गए हैं। 518,000 से अधिक परिवारों को आजीविका से जुड़ी गतिविधियों से लाभ हुआ है, जबकि 304,000 से अधिक परिवारों के पास अब मूल्यवान परिसंपत्ति है। राज्य भागीदारी परियोजनाओं का प्रभाव 360,000 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्र तक फैला हुआ है, जो उन्नत भूमि उपचार में योगदान देता है। इसके अलावा, दोहरी फसल उगाने और दीर्घकालिक वनस्पति को बढ़ावा देने, सतत कृषि पद्धतियों को सुविधाजनक बनाने और ग्रामीण समुदायों में विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रभावशाली 121,948 हेक्टेयर भूमि सुनिश्चित की गई है।



कृषि में सुधार:

बीआरएलएफ का लक्ष्य सतत कृषि विकास को बढ़ावा देना, उत्पादन बढ़ाने, सामूहिक खेती पर ध्यान केंद्रित करना और छोटे उत्पादकों को उनके उत्पादों के लिए एक विशेष पहचान बनाकर बाजारों से जोड़ना है। अन्य प्रचारित प्रथाओं में सूखी बुआई, फसल पैटर्न में बदलाव, ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई, जैविक मल्विंग और गेहूँ/चावल जड़ सघनीकरण शामिल हैं। बीआरएलएफ गैर-कीटनाशक प्रबंधन (एनपीएम) दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देती है, रसायन मुक्त खेती को प्रोत्साहित करती है, कृषि अवशेषों को खाद और पुनर्चक्रण के माध्यम से मिट्टी को उपजाऊ बनाती है और रासायनिक कीटनाशकों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करती है।



प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन:

मध्य भारतीय जनजातीय बेल्ट में बीआरएलएफ के काम में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) बहुत महत्वपूर्ण है। बीआरएलएफ, मनरेगा जैसे राज्य कार्यक्रमों से संसाधनों का लाभ उठाती है, जल संचयन संरचना, मृदा कटाव नियंत्रण और स्व-स्थानी (इन-सीटू) नमी के संरक्षण द्वारा जलवायु के लचीलेपन के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। इसका उद्देश्य खरीफ मौसम में सूखे के दौरान सुरक्षात्मक सिंचाई प्रदान करना और साल भर पेयजल की सुरक्षा

को सुनिश्चित करना जैसी अल्पकालिक समस्याओं का समाधान करना है। परियोजनाओं के अंतर्गत बनाई गई संपत्तियों के माध्यम से मिट्टी संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने से क्षेत्र की कृषि उत्पादकता, पानी की उपलब्धता और समग्र पर्यावरणीय स्थिरता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

वित्त वर्ष 2022-23 में कुल आंकड़े

418,332



भूमि एवं जल संसाधन विकास के अंतर्गत आने वाले परिवार

31 मार्च, 2023 तक संचयी आंकड़े
689,922

वित्त वर्ष 2022-23 में कुल आंकड़े

423,104



भूमि एवं जल संसाधन विकास के अंतर्गत शामिल क्षेत्र (हेक्टेयर)

31 मार्च, 2023 तक संचयी आंकड़े
470,372

वित्त वर्ष 2022-23 में कुल आंकड़े

38,502



गैर-लकड़ी वन उपज के अंतर्गत आने वाले घर

31 मार्च, 2023 तक संचयी आंकड़े
86,173

पशुधन विकास:

मध्य भारत में, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के विरुद्ध अनुकूलता विकसित करने के लिए आजीविका में विविधता लाना आवश्यक है। इस क्षेत्र में वर्षा सिंचित पशुधन प्रणालियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इसमें छोटे जुगाली करने वाले पशु (भेड़-बकरी आदि) और मवेशी आदिवासी समुदायों की आजीविका के आवश्यक घटक हैं। पशुधन घरेलू आय में काफी योगदान देते हैं, लेकिन यहाँ बीमारियाँ और मृत्यु दर जैसी चुनौतियाँ भी मौजूद हैं। बीआरएलएफ और उसके सहयोगी, मध्य भारतीय आदिवासी बेल्ट में पशुधन-आधारित आजीविका को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। इस इलाके में सबसे पसंदीदा पहल में मछली पालन या मत्स्य पालन उभर के आ रहा है, जो कि इन परियोजनाओं के अंतर्गत बनाई गई परिसंपत्तियों द्वारा समर्थन किया गया है।




महिला नेतृत्व वाली संस्थाओं का विकास:

बीआरएलएफ की रणनीति – खास भौगोलिक क्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व वाले संस्थानों का निर्माण करना और उनका समर्थन करना। सीएसओ भागीदार समुदाय-आधारित विकास के प्रयासों के नेतृत्व के लिए इन संस्थानों की स्थापना, मजबूती और क्षमता निर्माण पर काम करते हैं।



अधिकारों और हकदारियों तक पहुँचना:

बीआरएलएफ और उसके सहयोगी यह सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं कि सबसे गरीबों की विभिन्न अधिकारों और योजनाओं तक पहुँच हो, जिसमें मनरेगा, वन अधिकार अधिनियम, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और कई अन्य शामिल हैं। बीआरएलएफ वन अधिकार अधिनियम के तहत वन अधिकार दावों तक पहुँच भी सुनिश्चित करती है।



बीआरएलएफ के विभाग

बीआरएलएफ में तीन प्रमुख विभाग शामिल हैं— कार्यक्रम विभाग, अनुसंधान और सूचना प्रबंधन विभाग और क्षमता निर्माण विभाग। ये विभाग चार रणनीतिक समर्थन कार्य करते हैं — संसाधन संग्रहण करना, संचार करना, मानव संसाधन प्रबंधन करना और वित्त एवं लेखांकन। इनमें से प्रत्येक कार्यक्षेत्रों और कार्यों का संचालन बीआरएलएफ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की देखरेख में होता है।

कार्यक्रम विभाग


बीआरएलएफ में कार्यक्रम विभाग सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में विद्यमान है। इस विभाग के मुख्य कार्य हैं—अनुदान निर्माण करना, सह-वित्तपोषण करना और सरकारी प्रमुख कार्यक्रमों व पहलों को क्रियान्वित करना, सिविल सोसाइटी संगठनों (सीएसओ) और सरकारी निकायों के साथ संस्थागत सहयोग को बढ़ावा देना और सिविल सोसाइटी संगठनों को विषयगत क्षेत्रों पर विशेष तकनीकी सहायता प्रदान करना। बीआरएलएफ विशेष रूप से जमीनी स्तर पर सरकारी पहलों के माध्यम से उपलब्ध संसाधनों के अनुकूलन में सीएसओ को सक्रिय रूप से सुविधाएँ प्रदान करती है और सहायता करती है। यह विभाग सीएसओ को उनके प्रस्ताव डिजाइन में सहयोगात्मक विजन को एकीकृत करने में सहायता करता है, जिसमें विशेष रूप से पंचायती राज संस्थान शामिल हैं।

क्षमता निर्माण विभाग

बीआरएलएफ का क्षमता निर्माण विभाग देश भर में उभरते और मौजूदा ग्रामीण पेशेवरों के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए समर्पित है, यह विशेष रूप से भारत के आदिवासी युवाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जिनके पास अक्सर जमीनी स्तर पर पहुँच और अवसरों की कमी होती है। यह विभाग, सिविल सोसाइटी संगठनों, समुदाय-आधारित संगठनों, पंचायती राज संस्थानों और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) जैसी पहल से जुड़े सरकारी कर्मियों की क्षमताओं को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

अनुसंधान और सूचना प्रबंधन कार्यक्षेत्र

अनुसंधान और सूचना प्रबंधन विभाग का लक्ष्य है — भारतीय जनजातीय समुदायों, विशेष रूप से मध्य भारतीय जनजातीय बेल्ट से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दुओं के लिए एक ज्ञान केंद्र का निर्माण करना। यह विभाग स्वतंत्र अनुसंधान प्रयासों का संचालन करता है और अनुसंधान परियोजनाओं की देखरेख करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकारी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में योगदान करना और ग्रामीण आबादी, विशेष रूप से आदिवासी समुदायों के लिए स्थायी आजीविका की संभावनाओं को बढ़ाने वाली नई-नई गतिविधियों को तैयार करना है। इस विभाग का सूचना प्रबंधन प्रणाली घटक एक कुशल परियोजना प्रबंधन संरचना की स्थापना करता है और रखरखाव भी करता है। यह विभाग संरचना सिविल सोसाइटी संगठनों की चयन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, सुव्यवस्थित वित्तीय प्रबंधन और बीआरएलएफ द्वारा समर्थित परियोजनाओं से जुड़ी भौतिक और वित्तीय प्रगति के व्यापक आंकड़ों का संग्रह करता है।





बीआरएलएफ कार्यक्रम

कार्यक्रम का विजन

बीआरएलएफ ने संचालन के अपने शुरुआती वर्षों में मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्रों के भीतर अन्य परियोजनाओं को लागू करने के लिए सिविल सोसाइटी संगठनों को अनुदान दिया था। हालाँकि, इस विजन को व्यापकता, दृश्यता, राज्य सरकारों और नागरिक समाज के बीच वांछित सहयोग को लेकर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इन संस्थाओं के बीच जिस घनिष्ठ संबंध की कल्पना की जा रही थी वह बहुत ही आंशिक रूप से साकार हो पाई।

बीआरएलएफ ने अपने कार्यों को अपने मिशन के साथ बेहतर ढंग से संरेखित करने के लिए अपनी कार्यक्रम रणनीति का फिर से मूल्यांकन किया। इसमें सिविल सोसाइटी संगठनों को सक्रिय रूप से शामिल करते हुए राज्य सरकारों के साथ सीधे साझेदारी करके बड़े पैमाने की परियोजनाएँ शुरू करना फायदेमंद लगा। यह संशोधित रणनीति 2017 में झरना धारा नामक एक परियोजना के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य स्प्रिंग शेड विकास और कायाकल्प था।

इस दिशा में, बीआरएलएफ तत्काल संबोधित करने वाले मुद्दों पर राज्य सरकारों के जुड़ती है और दीर्घकालिक साझेदारी करती है और इस तरह की साझेदारियों को शुरू से अंत तक कायम रखती है। इस दृष्टिकोण में बीआरएलएफ के संसाधनों से राज्य सरकार और बीआरएलएफ द्वारा संयुक्त रूप से चयनित सीएसओ को सुविधा (प्रशिक्षित मानव संसाधन और क्षमता निर्माण) लागत प्रदान करना शामिल है, जबकि राज्य सरकार, कार्यक्रम निधि और उनकी उपलब्धता के लिए प्रतिबद्ध है। प्रोग्रामेटिक संसाधनों के लिए, बीआरएलएफ द्वारा समर्थित प्रत्येक सीएसओ रणनीतिक रूप से विभिन्न ग्रामीण विकास और आजीविका कार्यक्रमों के अंतर्गत सरकारी संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराए गए विशाल संसाधनों का लाभ उठाने का प्रयास करती है।

तभी से यह राज्य भागीदारी मॉडल, बीआरएलएफ के संचालन की आधारशिला बन गई है। बीआरएलएफ एक सुविधाप्रदाता के रूप में राज्य सरकारों और जमीनी स्तर के सीएसओ के बीच के अंतर को पाटती है। यह प्रमुख कार्यक्रमों के लिए आवंटित संसाधनों के प्रभावी उपयोग की सुविधा प्रदान करती है, जिससे बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। बीआरएलएफ मानव संसाधन, प्रशासन और क्षमता निर्माण के लिए भागीदार सीएसओ को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके बदले में सीएसओ, प्रासंगिक सरकारी योजनाओं से धन का लाभ उठाते हैं और परियोजना कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सभी राज्य भागीदारी परियोजनाओं में सफल परियोजना निष्पादन तय करने के लिए, बीआरएलएफ ने राज्य परियोजना प्रबंधन इकाइयों की स्थापना की है। प्रारंभ में, इन इकाइयों की देखरेख नामित सीएसओ परियोजना भागीदारों ने लीड भागीदारों के रूप में की थी। उनमें राज्य और जिला प्रशासन के साथ जुड़ना, कमियों को दूर करना और मुद्दों को हल करना शामिल था। हालाँकि, हाल की राज्य साझेदारियों, जैसे कि झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बोडोलैंड में, बीआरएलएफ अब अपनी राज्य परियोजना प्रबंधन इकाइयों की टीम बना रही है। इस बदलाव का उद्देश्य बेहतर निरीक्षण और नियंत्रण को बढ़ाना है।





राज्य परियोजना प्रबंधन इकाइयों की मुख्य जिम्मेदारियों में सभी हितधारकों को सशक्त बनाना, निगरानी और मूल्यांकन करना, बीआरएलएफ और सरकारी संस्थाओं के साथ निर्णय लेने में सक्रिय भागीदारी शामिल है। ऐसे सहयोग वाले प्रयास परियोजनाओं की सफलता को तय करते हैं।

बीआरएलएफ द्वारा प्रोत्साहित राज्य भागीदारी विजन से सरकारी संगठनों (जीओ) और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के बीच एक सहजीवी संबंध स्थापित किया जाता है। यह तालमेल परियोजना हितधारकों के बीच समग्र प्रणाली की प्रभावशीलता को बढ़ाता है और गरीबी कम करने के लिए एक अभिनव मार्ग प्रदान करता है। राज्य सरकारों के साथ साझेदारी के फलस्वरूप उनके संबंधित राज्यों के भीतर विभिन्न योजनाओं से आवंटित संसाधनों का उपयोग अधिक कुशलता से होता है।





नोट: छोटे आकार की श्रेणी में, 20 सीओ (47 प्रतिशत) का औसत वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से कम है।

सिविल सोसायटी संगठनों (सीएसओ) को सुविधाएँ प्रदान करना:

बीआरएलएफ ने राज्य भागीदारी परियोजनाओं के माध्यम से 79 सीएसओ को वित्त पोषण और तकनीकी सहायता प्रदान की है। यह सहायता इन संगठनों की मानव संसाधन और क्षमता-निर्माण आवश्यकताओं के अनुरूप निर्मित की गई थी। इन सीएसओ में 55 प्रतिशत में छोटे आकार की संस्थाएँ भी शामिल थीं जो पिछले तीन वर्षों में औसतन 5 करोड़ रुपये से कम सालाना कारोबार करती थीं। इस श्रेणी में ऐसे लगभग 20 सीएसओ आते हैं जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से कम है।


इसके अतिरिक्त, 38 प्रतिशत समर्थित सीएसओ को मध्यम आकार के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिनका औसत वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपये से 50 करोड़ रुपये के बीच था। इसके अलावा, 7 प्रतिशत बड़े उल्लेखनीय सीएसओ, का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका औसत वार्षिक कारोबार 50 करोड़ रुपये से अधिक है। सीएसओ साझेदारी के माध्यम से बीआरएलएफ छोटे आकार के सीएसओ की क्षमताओं का पोषण करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो जमीनी स्तर के विकास को बढ़ावा देने, नागरिक समाज की कार्यवाही को बढ़ाने और सतत प्रगति के प्रति अपने समर्पण का उदाहरण पेश करते हैं।

श्रेणी	कुल सीएसओ	प्रतिशत
छोटे आकार के सीएसओ: पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक कारोबार: 5 करोड़ रुपये से भी कम	43	55%
मध्यम आकार के सीएसओ: पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक कारोबार: 5 करोड़ रुपये से 50 करोड़ रुपये	31	38%
बड़े सीएसओ: पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक कारोबार: 50 करोड़ रुपये से अधिक	05	7%
कुल	79	100%

राज्य भागीदारी परियोजनाएँ:

उषरमुक्ति परियोजना, पश्चिम बंगाल:

“समुदाय की आजीविका में बढ़ोतरी की दिशा में पश्चिम बंगाल के पश्चिमी भाग में सात नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए वाटरशेड मोड में मनरेगा का प्रभावी कार्यान्वयन।”



2017 में, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के पश्चिमी भाग में सात प्रमुख नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए उषरमुक्ति परियोजना शुरू की। उषरमुक्ति परियोजना पूरे पश्चिमी क्षेत्र में वाटरशेड मोड में मनरेगा को प्रभावी ढंग से लागू करने पर केंद्रित है। इसमें जलग्रहण क्षेत्र को छह जिले के 54 ब्लॉक में 2,000 से अधिक सूक्ष्म जलक्षेत्रों में विभाजित करना शामिल था। यह कार्यक्रम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत संचालित होता है, जिसमें पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग बीआरएलएफ और छह नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) के साथ साझेदारी करता है।

सीएसओ को योजना, अनुमोदन और कार्यान्वयन प्रक्रियाओं में सहायता करके अपने संबंधित ब्लॉक में पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) और ब्लॉक पदाधिकारियों की सहायता करने का काम सौंपा गया था। इस प्रक्रिया की देखरेख के लिए एक केंद्रीय/राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू) की स्थापना की गई थी, जो हाइड्रोजियोलॉजिकल वाटरशेड योजनाओं को विकसित करने और ब्लॉक स्तर पर जमीनी प्रगति की निगरानी में सीएसओ भागीदारों की सहायता करती थी। एसपीएमयू ने सरकारी मंजूरी, फंड आवंटन और अंतर-विभागीय सहयोग की भी सुविधा प्रदान की। इसकी प्रगति को ट्रैक करने, कमियों की पहचान करने और योजनाओं की पारदर्शी और साक्ष्य-आधारित तैनाती सुनिश्चित करने के लिए एक डिजिटल निर्णय सहायता समाधान लागू किया गया था।

सभी हितधारकों के सहयोगात्मक प्रयासों से जुलाई 2021 तक आशाजनक परिणाम मिले, जो महत्वपूर्ण मील के पत्थर थे। यह सफल सरकारी संगठन (जीओ) और गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) साझेदारी प्रकृति संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संपत्तियों के सतत प्रबंधन के लिए आपूर्ति-पक्ष प्रबंधन प्रक्रियाओं में तेजी लाने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के साथ, उषरमुक्ति यात्रा को जारी रखने का मार्ग दिखाती है। कार्यक्रम के दायरे में 'कृषि समृद्धि' शामिल है, जो एक कृषि संवर्धन लक्ष्य है जिसमें उन्नत फसल उत्पादन प्रौद्योगिकियों को पेश करना, कुशल एकत्रीकरण प्रणाली स्थापित करना, छोटे धारकों के लिए बाजार पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, आजीविका में विविधता लाना और बहुत कुछ शामिल है।



‘उषरमुक्ति प्लस’ नाम के तहत अतिरिक्त दो वर्षों के लिए बढ़ाया गया है, जिसका लक्ष्य क्षेत्र में परिदृश्य प्रबंधन और कृषि विकास को आगे बढ़ाना है।

उषरमुक्ति प्लस परियोजना का लक्ष्य पश्चिम बंगाल के पश्चिमी क्षेत्र में सात खराब नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में लगभग 200,000 हेक्टेयर (उषरमुक्ति के भीतर संचयी) के एक महत्वपूर्ण भूमि क्षेत्र को बहाल करना है। इसे पुनर्जनन वाटरशेड दृष्टिकोण का उपयोग करके मनरेगा को लागू करके प्राप्त किया जाना है। इसके अतिरिक्त, परियोजना का उद्देश्य उत्पादन क्लस्टर विकास के लिए एक आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली मॉडल की स्थापना का प्रदर्शन करना है, जो इस इलाके के अन्दर लगभग 289,000 परिवारों (संचयी) के लिए स्थायी आजीविका उत्पन्न करेगी।

प्रमुख प्रभाव संकेतक	2023 तक की उपलब्धि
गतिविधियाँ	
उषरमुक्ति में कुल क्षेत्र उपचार (हेक्टेयर)	1,26,298
उषरमुक्ति से संपत्ति रखने वाले कुल परिवार	2,77,153
उषरमुक्ति प्लास में आजीविका के अंतर्गत आने वाले कुल परिवार	1,14,004
कृषि-बागवानी आधारित आजीविका के अंतर्गत कुल परिवार	1,00,984
एकीकृत पशुधन संसाधन आधारित आजीविका के अंतर्गत कुल परिवार	29,304
मत्स्य पालन आधारित आजीविका के अंतर्गत कुल परिवार	7,951
गैर-लकड़ी वन उपज, अन्य उद्यमों के अंतर्गत कुल परिवार	3,114
कुल कृषि उत्पादन क्लस्टर (एपीसी)	37
एपीसी के आसपास किसान उत्पादक संगठनों की संख्या	7
कृषि उत्पादन क्लस्टर (एपीसी)/आर्थिक संस्थानों के सदस्य	35,797
मनरेगा से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) परिसंपत्तियों (सीआर) में निधि का उपयोग	1,546
अन्य स्रोतों से एनआरएम परिसंपत्तियों (सीआर) में निधि का उपयोग (अभिसरण)	491
एनआरएम परिसंपत्तियों में कुल निधि उपयोग (सीआर) (एमजीएनआरईजीएस और कन्वर्जेंस)	2,037
परिणाम	
दोहरी फसल और दीर्घकालिक वनस्पति के लिए विकसित संचयी सिंचित क्षेत्र (हेक्टेयर)	91,228
मौजूदा और नए भूमि उपचार से संचयी जल संचयन क्षमता (Ha-m)	31,219
कुल उषरमुक्ति पहल में दोहरी फसल के तहत सकल क्षेत्र (हेक्टेयर)	72,844
दीर्घकालिक वनस्पति (हेक्टेयर)	44,156
कुल परिवार सकल वार्षिक घरेलू आय > 80,000 रुपये तक पहुँच गए	62,702

“ पहले मुझे कोई नहीं जानता था। अब मुझे गाँव में ‘धनेर दीदी’ (धान वाली महिला) के नाम से जाना जाता है। लोग मेरी फसल संबंधी सलाह लेते हैं और अपनी खरीफ फसल चुनने से पहले मुझसे सलाह लेते हैं।


पंचवती बास्के
 दामोदरपुर गाँव, पतिना ग्राम पंचायत, नयाग्राम ब्लॉक

“ उषरमुक्ति परियोजना, बीआरएलएफ और मनरेगा, पश्चिम बंगाल सरकार की एक पहल, का उद्देश्य बंजर भूमि को खेती योग्य भूमि में बदलना है। टीएसआरडी टीम के तकनीकी सहयोग से, हमने संयुक्त रूप से मनबाजार-। ब्लॉक में 45 माइक्रो-वॉटरशेड के लिए रिज-टू-वैली विकास की योजना बनाई और कार्यान्वित की। उषरमुक्ति ने रिज-टू-वैली परियोजनाओं के लिए मनरेगा निधि के उपयोग पर बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की और अब इसे मनरेगा प्रणाली में एकीकृत कर दिया गया है। इसके अलावा, इसने रिज-टू-वैली कार्य के प्रति ब्लॉक और जीपी टीमों के दृष्टिकोण को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।

श्री नीलाद्रि सरकार
 डब्ल्यूबीसीएस (ईएक्सई), खंड विकास अधिकारी,
 मानबाजार-। ब्लॉक, पुरुलिया, पश्चिम बंगाल

कृषि उत्पादन क्लस्टर परियोजना, ओडिशा

ओडिशा सरकार ने बीआरएलएफ के सहयोग से 6 नवंबर, 2018 को आदिवासी क्षेत्रों में 'कृषि उत्पादन समूहों को बढ़ावा देना (एपीसी)' परियोजना शुरू की। इस सहयोगात्मक प्रयास में कई सरकारी विभाग और सिविल सोसाइटी संगठन (सीएसओ) शामिल हैं, जिनमें कृषि और किसान सशक्तिकरण विभाग, मिशन शक्ति विभाग, ओडिशा आजीविका मिशन और अन्य शामिल हैं।



इस कार्यक्रम का लक्ष्य सामूहिकीकरण और समकालिक कृषि उत्पादन के माध्यम से छोटी और सीमांत महिला किसानों की आय को स्थायी रूप से बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाना है। यह महिला किसानों के लिए कृषि आय तक पहुँच में सुधार लाने पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम की रणनीतियों में फसल प्रणालियों में विविधता लाना, कृषि और पशुधन पालन के लिए बुनियादी ढाँचे की स्थापना करना, इनपुट सेवाएँ प्रदान करना, बेहतर कृषि पद्धतियों को अपनाना, गैर-कीटनाशक प्रबंधन को बढ़ावा देना और संस्थागत विपणन प्रक्रियाओं के माध्यम से उचित मूल्य सुनिश्चित करना शामिल है।

प्रारंभ में, इस परियोजना में 12 आदिवासी बहुल जिले के 40 ब्लॉक शामिल थे। बाद में, 2021-22 में, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) और बीआरएलएफ के समर्थन से इसका विस्तार 33 और ब्लॉकों तक हो गया। वर्तमान में, यह परियोजना 14 जिले के 73 ब्लॉकों को कवर करती है, जिसमें 41 ब्लॉक बीआरएलएफ द्वारा समर्थित हैं।

परियोजना का प्रभाव:

मार्च 2023 तक, परियोजना ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसने 932 उत्पादक समूह (पीजी) स्थापित किए हैं, जिससे 1,20,650 छोटी और सीमांत महिला किसानों को लाभ हुआ है। सभी 30 नियोजित निर्माता कंपनियों (पीसी) का गठन किया गया है, जिसमें 212 लाख रुपये की कुल शेयर पूंजी के साथ 60,535 शेयरधारक शामिल हैं।

इस परियोजना ने 83,040 महिला किसानों को 79,005 एकड़ में उच्च मूल्य वाली सब्जियों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इनमें से, 25,901 एकड़ में गैर-कीटनाशक प्रबंधन प्रथाओं को अपनाया गया है, और 16,179 एकड़ का उपयोग फलों के वृक्षारोपण के लिए किया गया है। मृदा रहित नर्सरी, ड्रिप और पॉलिथीन मल्टिप्लेक्स, ट्रेलिस, मल्टी-लेयर खेती और अदरक की सोलर ड्राइंग जैसी उन्नत तकनीकों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया है।

ओडिशा एग्रो-इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, ओडिशा लिफ्ट इरिगेशन कॉरपोरेशन, एमजीएनआरईजीएस आदि की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के साथ, परियोजना ने 30,720 एकड़ सिंचाई क्षमता पैदा की है। इसके अलावा, 61,679



किसान अब उन्नत पशु-पालन पद्धतियाँ अपना रहे हैं। महिला किसानों को समर्थन देने के लिए, 496 कृषि उद्यमी (एई) परियोजना क्षेत्र में सक्रिय रूप से शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न सरकारी विभागों से 482.70 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्पादक समूह किसानों ने 2,12,716 टन सब्जियाँ बेची हैं, जिससे विभिन्न चैनलों के माध्यम से 4440.95 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। बेचने से पहले, किसानों ने व्यक्तिगत और उत्पादक समूह स्तर पर प्राथमिक छंटाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग सुनिश्चित की, जिससे अतिरिक्त 10-20 प्रतिशत रिटर्न मिला।

निर्माता समूह संवर्धन	
उत्पादक समूहों का गठन	932
ओएलएम/मिशन शक्ति से कई पीजी को वित्तीय सहायता प्राप्त हुई	836
निर्माता कंपनियों का प्रमोशन/संवर्धन	
निर्माता कंपनी बनी	30
निर्माता कंपनी में शेयरधारक	60,535
कुल कारोबार करोड़ों में	20.79 करोड़



एपीसी प्रोजेक्ट पर
फिल्म देखने के लिए
कोड को स्कैन करें।



कृषि संवर्धन के आसपास प्रगति	
उच्च मूल्य वाली फसल प्रोत्साहन के अंतर्गत आने वाले परिवार	83,040
उच्च मूल्य वाली फसल प्रोत्साहन के अंतर्गत क्षेत्र	79,005 करोड़
कृषि उद्यमियों (एई) को तैयार किया गया	496
फलदार वृक्ष रोपण के अंतर्गत आने वाले परिवार	13,659
फलदार वृक्ष रोपण के अंतर्गत क्षेत्र	16,179 करोड़
सामूहिक विपणन में शामिल उत्पादक समूह	822
सामूहिक रूप से बेची गई उपज की कुल मात्रा	2,12,716 क्विंटल
सामूहिक विपणन के माध्यम से प्राप्त राशि	4440.95 लाख
संपत्ति निर्माण	
छँटाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग इकाइयों स्थापित की गई	53
भंडारण संरचनाओं की संख्या	329
NADEP, वर्मिन-कम्पोस्ट और अन्य कम लागत वाली कम्पोस्टिंग इकाई की संख्या	20,352
जल संचयन/उठाव संरचनाएँ स्थापित/पुनर्निर्मित	6435
कुल सिंचाई क्षमता सृजित	30,720 एकड़
जल संरचनाओं से परिवारों को लाभ हुआ	27,679
पशुधन विकास	
पशुधन से जुड़ी गतिविधियों के तहत घर	61,679
निर्मित बकरी/बैकयार्ड मुर्गीपालन आश्रयों की संख्या	25,234
कुल उत्तोलन	482.70 करोड़

“ एपीसी परियोजना के लिए धन्यवाद, मैंने गंदे की खेती से 1 लाख रुपये और सब्जी की खेती से 12,000 रुपये कमाए। इसके अतिरिक्त, मैंने पिछले साल उन्नत मुर्गी पालन से 20,000 रुपये कमाए। मुझे जिला स्तरीय कृषि मेले में एक सफल एवं प्रेरणादायक महिला कृषक के रूप में जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया। इस परियोजना ने मुझे अपनी पहचान स्थापित करने में मदद की। मैं हमारे स्व-सहायता समूह द्वारा शुरू किए गए मदर चिक यूनिट उद्यम में भी सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ हूँ और हमने राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार जीता है। इन सभी उपलब्धियों का श्रेय एपीसी परियोजना को दिया जाता है, जहां मैंने सीखा, अपने कौशल में सुधार किया और विभिन्न क्षमता-निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से खुद को विकसित किया।

सुश्री गीता निमाला

माँ शक्ति महिला चासी संघ उत्पादक समूह की सदस्य,
ग्राम बांकिली, कोलनारा, रायगड़ा, ओडिशा


“ एपीसी परियोजना ने राज्य की छोटी और सीमांत महिला किसानों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। जो किसान पहले केवल धान की खेती करते थे, वे अब विभिन्न सब्जियां उगा रहे हैं और तत्काल वित्तीय लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह इस निदेशालय के सफल मॉडलों में से एक है, जिसे दूसरे ब्लॉक में भी दोहराया जाना चाहिए। यह सरकारी-एनजीओ साझेदारी के सफल मॉडलों में से एक है।

श्री. रोहित कुमार लेंका

आईएफएस बागवानी निदेशक, ओडिशा सरकार

छत्तीसगढ़ हाई इम्पैक्ट मेगा वाटरशेड परियोजना

हाई इम्पैक्ट मेगा वाटरशेड परियोजना छत्तीसगढ़ सरकार, ऐक्सिस बैंक फाउंडेशन और भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन के बीच एक सहयोगी पहल है। परियोजना का लक्ष्य मिट्टी और जल संरक्षण पहल में निवेश के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों की आजीविका को बढ़ाना है। यह परियोजना मनरेगा के तहत 12 जिले के 26 ब्लॉकों में ऊपरी पर्वतमाला के लगभग 6.9 लाख हेक्टेयर जलग्रहण क्षेत्र को कवर करती है। प्रारंभ में अक्टूबर 2018 से सितंबर 2022 तक चार वर्षों के लिए योजना बनाई गई थी, इसका लक्ष्य योजना और कार्यान्वयन में मजबूत सामुदायिक भागीदारी के साथ वाटरशेड प्रबंधन और कृषि उत्पादकता में सुधार के माध्यम से 100,000 छोटे और सीमांत परिवारों की आय में लगातार वृद्धि करना था।



जून 2022 तक, फोर्ड फाउंडेशन ने आजीविका गतिविधियों में परियोजना का समर्थन किया। बाद में, परियोजना को अक्टूबर 2022 से सितंबर 2024 तक दो साल का विस्तार मिला, जिसमें एपीसी दृष्टिकोण के माध्यम से आजीविका गतिविधियों, विशेष रूप से कृषि, एनटीएफपी (गैर-लकड़ी वन उत्पाद) और पशुधन मूल्य-शृंखला विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस परियोजना को 2025 तक अतिरिक्त तीन वर्षों के लिए बढ़ा दिया।

परियोजना का प्रभाव:

- 10,336 सदस्यों और 26 ब्लॉकों में 3962 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ 151 उत्पादक समूह (पीजी) का गठन किया गया।
- परियोजना की शुरुआत से नियोजित 6.05 लाख हेक्टेयर के मुकाबले 2.34 लाख हेक्टेयर का उपचार किया गया (उच्च भूमि: 0.62 लाख हेक्टेयर, मध्यम भूमि: 0.81 लाख हेक्टेयर, निचली भूमि: 0.91 लाख हेक्टेयर)।
- नरवा पुनर्जीवन योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य मनरेगा सेल को सहायता प्रदान की गई। नरवा समिति नामक तकनीकी सेल में दो एसपीएमयू सदस्यों को मनोनीत किया गया। राज्य मनरेगा पदाधिकारियों के साथ 16 और जिला एवं ब्लॉक मनरेगा पदाधिकारियों के साथ 35 इंटरफेस बैठकें आयोजित कीं।
- इस परियोजना के तहत ऐसे 334 नरवा/नालों को शामिल किया गया था, जिनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की योजनाओं का समर्थन किया गया था और इनका कवरेज क्षेत्र 2,217.63 किलोमीटर था।




मुख्य विशेषताएँ:

- ऐक्सिस बैंक फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन और बीआरएलएफ से 12 सीएसओ के सीएसआर योगदान के साथ, परियोजना का वित्तीय निवेश 20 करोड़ रुपये से अधिक हो गया। इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ सरकार के मनरेगा सेल ने मिट्टी और पानी आधारित संपत्ति निर्माण के लिए 820 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया।
- इस सहयोगात्मक प्रयास के परिणामस्वरूप 1:41 का प्रभावशाली लागत-निवेश अनुपात प्राप्त हुआ। विशेष रूप से, इस परियोजना ने केवल 0.11 रुपये प्रति लीटर पानी की न्यूनतम लागत पर 6.94 लाख हेक्टेयर भूमि पर 7,000 करोड़ लीटर पानी की संभावित पैदावार को सक्षम बनाया।
- भागीदारी विजन का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में 819 ग्राम पंचायतों में मिट्टी और जल संसाधनों का संरक्षण करना, पारिस्थितिकी की तंत्र, समुदायों और अर्थव्यवस्थाओं को बनाए रखना है।
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और इससे जुड़ी गतिविधियों के आधार के रूप में 820 ग्राम पंचायतों और 1,969 माइक्रो-वाटरशेड का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया। छत्तीसगढ़ में आजीविका के अवसरों को वाटरशेड विकास उद्देश्यों से जोड़ना इस परियोजना के भीतर एक सफल अभ्यास के रूप में उभरा।

जीवी दा: हासा – उच्च प्रभाव मेगा वाटरशेड परियोजना, झारखंड

‘जीवी दा: हासा’ कार्यक्रम, संथाली भाषा से लिया गया है— ‘जीवी’ जीवन का प्रतीक है, ‘दा:’ जल का प्रतिनिधित्व करता है, और ‘हासा’ पृथ्वी का प्रतीक है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य राज्य के सबसे वंचित क्षेत्रों में जीवन, जल और पृथ्वी को पुनर्जीवित करना है।



28 अगस्त, 2020 को, बीआरएलएफ ने सात आकांक्षी जिले के 24 सबसे पिछड़े ब्लॉक में एक हाई इम्पैक्ट मेगा वाटरशेड परियोजना को लागू करने के लिए मनरेगा आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इन ब्लॉकों का चयन राज्य सरकार द्वारा सुझाए गए बहु-आयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) मानदंडों के आधार पर किया गया था। परियोजना का प्राथमिक लक्ष्य 190,000 सामाजिक-आर्थिक रूप से सीमान्त परिवारों के जीवन और आजीविका में सुधार करना है।

इस परियोजना में लगभग 300,000 से 390,000 हेक्टेयर, मुख्य रूप से ऊपरी भूमि और मध्य भूमि के सुधार की योजना है और इसका लक्ष्य लगभग 181,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में फसल तीव्रता से सुधार करना है। 965 लघु वाटरशेड में सुधार कार्य करने की योजना है। 12 ग्राउंड सीएसओ भागीदार परियोजना को कार्यान्वित कर रहे हैं, प्रत्येक दो ब्लॉकों को कवर करता है – एक गहन और दूसरा गैर-गहन।

गहन ब्लॉक में, सीएसओ भागीदार के पास परियोजना को लागू करने के लिए पेशेवरों की एक समर्पित टीम है। इसके विपरीत, गैर-गहन ब्लॉक में गहन ब्लॉक की लर्निंग के आधार पर अग्रिम पंक्ति के पदाधिकारियों की क्षमताओं का निर्माण करने के लिए एक व्यापक रणनीति अपनाई जाती है। सीएसओ की भूमिका परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) और ग्राम पंचायत सचिवालय को उचित वाटरशेड योजना बनाने के लिए, रिज-टू-वैली सिद्धांत को अपनाने के लिए और गतिविधियों के कार्यान्वयन के दौरान ऑनसाइट समर्थन प्रदान करने के लिए सुविधा और तकनीकी सहायता प्रदान करना है।

परियोजना की प्रगति:

- सघन ब्लॉक में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना:
 - 15 सघन ब्लॉकों में 965 डीपीआर विकसित किये गए।
 - ग्राम सभाओं से अनुमोदन के बाद ब्लॉक स्तर पर 955 डीपीआर प्रस्तुत की गईं।

- **अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार फील्ड निष्पादन:**
 - 1787 करोड़ रुपये की मौद्रिक मात्रा के साथ ब्लॉक स्तर पर 163,612 एनआरएम परिसंपत्तियों की योजना बनाई गई।
 - अनुमानित श्रम बजट के आधार पर 46,123 प्राथमिकता वाली योजनाएँ।
 - विभिन्न योजनाओं के 5,145 कार्य कोड तैयार किये गये और 1,605 प्रक्रियाधीन हैं।
 - कुल लाभ: ₹ 7.92 करोड़।
- **आजीविका अंतः क्षेत्र :**
 - मत्स्य पालन पहल: 7 परियोजना ब्लॉकों में 27 मत्स्य-कृषि-उद्यमियों के साथ मत्स्य पालन गतिविधि शुरू की गई, जिसमें नर्सरी तालाबों में लगभग 11,200,000 स्पॉन का टीकाकरण किया गया।
- **टेक्नो सेवी क्लाइमेटिक रेजिलिएंट स्मार्ट एग्री स्टार्ट-अप के साथ सहयोग:**
 - ख्याति प्रा. लिमिटेड: 23 कृषि-उद्यमियों को विदेशी सब्जियों की खेती के लिए शेड नेट हाउस की सुविधा प्रदान की गई, जिसमें कुल 12,65,000 रुपयों का लाभ उठाया गया।
 - सेमिना एग्रो प्रा. लिमिटेड: 49 कृषि-उद्यमी 15 एकड़ में जलवायु-लचीली फसलें उगा रहे हैं।
- **अन्य पहल:**
 - प्रेझा (PREJHA) फाउंडेशन: सिलाई और विनिर्माण व्यवसायों में कौशल कार्यक्रमों के लिए लगभग दस युवाओं को संगठित किया गया।
 - टाटा स्टील फाउंडेशन: किसानों और मत्स्य समन्वयकों/परियोजना कर्मचारियों के लिए 'खेत तालाब-आधारित एकीकृत कृषि प्रणाली प्रबंधन' पर एक्सपोजर विजिट और प्रशिक्षण आयोजित किया गया।




जीवी दा: हासा प्रोजेक्ट पर फिल्म देखने के लिए कोड को स्कैन करें।



तेलंगाना राज्य में सामुदायिक वन अधिकार कार्यान्वयन को मजबूत करना

बीआरएलएफ का लक्ष्य सामुदायिक वन अधिकार (सीएफआर) मान्यता और प्रबंधन को प्रभावी ढंग से लागू करके मध्य भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में वन-आधारित आजीविका को बढ़ाना है। 10 प्रतिशत की पर्याप्त अनुसूचित जनजाति (एसटी) आबादी वाला तेलंगाना क्षेत्र, अपने वनीय जिले में घनघोर गरीबी और हाशिए पर होने के कारण ध्यान देने योग्य एक प्रमुख क्षेत्र है। बीआरएलएफ ने अपनी पहल के लिए रणनीतिक रूप से तेलंगाना को चुना है, जिसका उद्देश्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाना है और सीएफआर मान्यता व प्रबंधन के माध्यम से सतत सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।



तेलंगाना के आयुक्त-आदिवासी कल्याण विभाग (सीटीडब्ल्यूडी-टीएस) और बीआरएलएफ ने आदिलाबाद और आसिफाबाद जिले में सीएफआर अधिकारों के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक परियोजना के संचालन के लिए 28 अगस्त, 2021 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। परियोजना का उद्देश्य स्थानीय जनजातियों को वन संसाधनों का स्वामित्व लेने और स्थायी वन प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए सशक्त बनाना है। इसके मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं— सामुदायिक वन अधिकारों की कानूनी मान्यता और सुरक्षा को मजबूत करना, स्थानीय समुदायों द्वारा स्थायी वन प्रबंधन का समर्थन करना, स्थायी वन-आधारित उद्यमों के माध्यम से वन-निर्भर समुदायों की आजीविका में सुधार करना, वन प्रशासन में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना और समुदाय में पारदर्शिता और संघर्ष समाधान को बढ़ावा देना। वन शासन परियोजना में सीएफआर और आर्थिक संसाधन मानचित्र तैयार करना भी शामिल है।

मुख्य परिणाम:

- **प्रशिक्षण और अभिविन्यास:** सीएसओ के सहयोग से पीआरआई, ग्राम सभाओं, एफआरसी, एसडीएलसी और जिला स्तरीय समितियों को व्यापक एफआरए प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- **ग्राम अभियान:** घर-घर जाकर, कलाजाथा (नुक्कड़ नाटक) और सामुदायिक बैठकों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाई गई।
- **वन अधिकार समितियों (एफआरसी) का गठन:** सामुदायिक वन संसाधनों की पहचान और दस्तावेजीकरण करने के लिए ग्राम समितियों को सशक्त बनाया गया।
- **सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए) अभ्यास:** सीएफआर दावों के लिए गाँव के संसाधनों की पहचान करना और प्रलेखन में समुदायों को शामिल करना।
- **दावा दस्तावेज तैयार करने में सहायता:** आवश्यक दावा दस्तावेज संकलित करने में एफआरसी की सहायता की।



सीएफआर प्रोजेक्ट पर फिल्म देखने के लिए कोड को स्कैन करें।



- **ग्रामसभाएँ और दावा दस्तावेज स्वीकृति:** सीएफआर दावा दस्तावेजों के सामुदायिक अनुमोदन के लिए ग्रामसभाएँ आयोजित की गईं।
- **दावा दस्तावेज प्रस्तुत करना:** उप-विभागीय स्तर की समिति को 84 सीएफआर दावा दस्तावेज तैयार और प्रस्तुत किए गए।
- **जीपीएस मैपिंग:** सीएफआर दावा दस्तावेजों में सटीक मानचित्रों के लिए सामुदायिक संसाधनों और वन सीमाओं की जीपीएस मैपिंग की गई।

सामुदायिक वन अधिकार (सीएफआर) परियोजना का मुख्य प्रभाव

पैमाना: 35 ग्राम पंचायतों के 82 गाँवों में लागू किया गया, जिसमें 3892 घर और लगभग 22283.18 एकड़ वन क्षेत्र शामिल है।

प्रमुख उपलब्धियाँ:

- आगे की प्रक्रिया के लिए एसडीएलसी को 78 सीएफआर दावा दस्तावेज तैयार और जमा किए।
- दावा दस्तावेज तैयार करने में 6 स्टाफ सदस्य, 12 पेसा (PESA) समन्वयक और 35 ग्राम पंचायत सरपंच और सचिव शामिल हुए।
- सभी 82 गाँवों में जीपीएस और मैनुअल मैपिंग का संचालन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 82 संसाधन मानचित्र तैयार हुए।
- सामुदायिक वन संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए चार सीएफआर प्रबंधन योजनाएँ तैयार कीं।
- 410 एफआरसी सदस्यों और 82 ग्राम पटेलों को सीएफआर से संबंधित ज्ञान और कौशल में सक्षम बनाया।
- 126 युवाओं को जीपीएस मैपिंग और डेटा संग्रह के लिए एंड्रॉइड मोबाइल एप्लिकेशन के उपयोग पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।


“सामुदायिक वन दावा परियोजना पर बीआरएलएफ के साथ सेंटर फॉर पीपुल्स फॉरेस्ट्री की साझेदारी सीपीएफ के लिए काफी महत्वपूर्ण है, यह हमारे मुख्य मिशनों में से एक है। बीआरएलएफ ने जनजातीय कल्याण विभाग के साथ साझेदारी में तेलंगाना राज्य में सीएफआर दावों पर अपना काम शुरू करने से सीएफआर दावों को साकार करने की संभावनाएँ बढ़ गई हैं, जो तेलंगाना में अपनी तरह का पहला मामला है। बीआरएलएफ टीम ने इस पायलट प्रोजेक्ट को लागू करने में सीएसओ भागीदारों, जनजातीय कल्याण विभाग, पीओ (आईटीडीए) उत्तूर और एटीआरईई के साथ एक ज्ञान भागीदार के रूप में काफी ईमानदारी और पेशेवर तरीके से काम किया।

बी. गिरिजा बोहुपल्ली
निदेशक, सेंटर फॉर पीपुल्स फॉरेस्ट्री, तेलंगाना



उच्च प्रभाव आजीविका संवर्धन परियोजना, महाराष्ट्र

बीआरएलएफ ने विदर्भ क्षेत्र में गरीब आदिवासी परिवारों पर ध्यान केंद्रित करने वाली आजीविका वृद्धि परियोजना को लागू करने के लिए शबरी आदिवासी विद्या और विकास महामंडल, नासिक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। परियोजना के प्राथमिक लक्ष्यों में विभिन्न पहलू शामिल हैं, जैसे भूमि और जल संसाधनों को बढ़ाना, सतत कृषि पद्धतियों को लागू करना, पशुधन उत्पादकता में सुधार करना, गैर-कीटनाशक-आधारित खेती के तरीकों को बढ़ावा देना, गैर-लकड़ी वन उपज (एनटीएफपी) के लिए लाभदायक मूल्य शृंखला स्थापित करना और अधिक प्रभावी ग्राम विकास प्रक्रियाओं के लिए ग्राम सभाओं/पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाना।



परियोजना के प्रमुख प्रभाव:

स्कोपिंग अध्ययन:

- विदर्भ क्षेत्र के चिन्हित ब्लॉकों में एक सहभागी मांग-संचालित स्कोपिंग अध्ययन आयोजित किया गया।
- परियोजना का समर्थन करने के लिए कई विभागों से संपर्क किया गया और विभिन्न योजनाओं से 11,529.42 लाख रुपये जुटाए गए।

भूमि एवं जल संसाधन विकास:

- मनरेगा एवं अन्य एजेंसियों के माध्यम से 398 जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करवाया गया।
- 2605.5 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की गई, जिससे मिट्टी का कटाव कम हुआ और जल स्तर और नमी की मात्रा में सुधार हुआ।
- मनरेगा, सरकारी विभागों और सीएसआर फंड के साथ अभिसरण के माध्यम से 22.36 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ हासिल किया।

कृषि उत्पादन में वृद्धि:

- 10,760 किसानों को लाभ हुआ, जिसमें 3,552 परिवार प्रत्यक्ष लाभार्थी थे।
- संबंधित विभागों, मनरेगा और सीएसआर एजेंसियों के साथ साझेदारी के माध्यम से 3.82 करोड़ रुपये का लाभ उठाया।

पशुधन आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा:

- लगभग 995 गाय एवं बकरियों के लिए टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया।
- बैकयार्ड मुर्गीपालन इकाइयों से 271 परिवारों को लाभ हुआ।
- पशुधन से जुड़ी गतिविधियों के लिए विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से लगभग 5.2 करोड़ रुपये जुटाए गए।

एनटीएफपी मूल्य शृंखला विकास:

- ग्राम एवं पंचायत स्तर पर संग्रहण केन्द्र स्थापित किये गये।
- इन केंद्रों के प्रबंधन में समुदाय को प्रशिक्षित किया।
- एनटीएफपी मूल्य शृंखला विकास के माध्यम से 4970 परिवारों को लाभान्वित किया गया।
- विभिन्न संस्थानों से करीब 3.31 करोड़ रुपये जुटाए गए।

अधिकार एवं पात्रता:

- अधिकार एवं पात्रता पर कार्य कर 359 परिवारों को लाभान्वित किया।
- विभिन्न संस्थानों से करीब 9.27 लाख रुपये जुटाए गए।





मानव विकास सूचकांक परियोजना में सुधार, महाराष्ट्र

महाराष्ट्र सरकार ने 125 पिछड़े तालुकाओं में मानव विकास में सुधार के लिए मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) कार्यक्रम शुरू किया। अलग मानव विकास आयुक्तालय (एचडीसी) स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका योजनाओं की देखरेख करता है। इस कार्यक्रम को 2021-22 के लिए 1000.00 करोड़ रुपये का बजट प्राप्त हुआ। प्रयासों के बावजूद, कुछ तालुकाओं में अभी भी सुधार की आवश्यकता है, जिससे उच्च प्रभाव वाली एचडीआई परियोजना के लिए नागरिक समाज संगठनों और भारत ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन के साथ सहयोग को बढ़ावा मिल सके।

परियोजना अवधि
मई 2022 – अप्रैल 2023

सरकारी विभाग
आयुक्त मानव विकास सूचकांक विभाग,
महाराष्ट्र सरकार

बीआरएलएफ ने कुछ खराब प्रदर्शन करने वाले तालुकाओं में मानव विकास सूचकांक में सुधार के लिए एक केंद्रित परियोजना को लागू करने के लिए आयुक्त एचडीआई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का लक्ष्य कई महत्वपूर्ण उद्देश्यों को प्राप्त करना था। सबसे पहले, इसने 25,000 गरीब परिवारों के जीवन स्तर और समग्र कल्याण को ऊपर उठाने की कोशिश की। दूसरे, इसने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और लिंग-आधारित असमानताओं को संबोधित करके महिलाओं और किशोर लड़कियों की भलाई में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया। तीसरा, इस परियोजना का उद्देश्य लक्षित क्षेत्रों में मौजूदा स्वास्थ्य और शिक्षा योजनाओं का कुशलता पूर्वक कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। अंत में, इसने प्रभावी आजीविका अंतः-क्षेपों को लागू करने के लिए एचडीआई विभाग, विशेष रूप से कृषि, गैर-इमारती वन उपज (एनटीएफपी), और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में तकनीकी सहायता प्रदान की। इन उद्देश्यों के माध्यम से, परियोजना का लक्ष्य महाराष्ट्र के पिछड़े तालुकाओं में मानव विकास और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को बढ़ाने में पर्याप्त प्रगति करना है।

यह परियोजना 5 जिले के 23 तालुकाओं को कवर करते हुए लागू की गई थी। चयनित तालुका वे थे जो जनजातीय विकास विभाग परियोजना के अंतर्गत आते थे और निकटवर्ती तालुका, सुविधा और सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित करते थे। तालुकाओं के नाम एचडीआई विभाग के परामर्श से तय किए गए थे।




राज्य भागीदारी नई परियोजनाएँ:

बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र, असम में कमजोर परिवारों के जीवन और आजीविका में परिवर्तन

बीआरएलएफ और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल ने असम के बोडोलैंड टेरिटोरियल क्षेत्र में एक उच्च प्रभाव वाली परियोजना, 'बोडोलैंड में जीवन और आजीविका को बदलना' को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना 40,000 एसटी, आदिवासियों और अन्य कमजोर परिवारों को लक्षित करती है। पाँच सीएसओ भागीदारों का चयन किया गया है, वे बीटीआर के तहत मनरेगा और अन्य विभागों से वित्तीय सहायता के साथ, योजना बनाने के लिए ग्राम पंचायतों और सरकारी पदाधिकारियों को सुविधा प्रदान करेंगे।

परियोजना अवधि फरवरी 2023 – मार्च 2027

सरकारी विभाग बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद, बीटीआर, असम



परियोजना के मुख्य उद्देश्य:

- एसटी, आदिवासियों और बोडोलैंड क्षेत्र के अन्य कमजोर वर्गों की आजीविका विकास पहल (कृषि और गैर-कृषि गतिविधियों में वृद्धि के साथ भूमि और जल विकास) के माध्यम से आय स्तर में वृद्धि।
- सभी सरकारी प्रमुख योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए बेहतर सामुदायिक भागीदारी के लिए सामुदायिक संस्थानों की बढ़ी हुई क्षमताओं के साथ बीटीसी सरकारी प्रणाली और स्थानीय पीआईए संस्थानों में बेहतर प्रशासन।
- परियोजना अंतःक्षेपों को सतत रूप से पूरा करने के लिए स्थानीय मानव संसाधन क्षमता का विकास।

परियोजना की प्रगति:

- 24-25 फरवरी, 2023 को परियोजना आरंभ कार्यशाला की गई थी।
- ग्राम परिषद विकास समिति (वीसीडीसी) वार परियोजना योजना और परिणाम संकेतकों को अंतिम रूप दिया गया।
- बीटीसी सचिवालय में बोडोलैंड राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू) टीम की स्थापना की गई है।
- एसपीएमयू की भूमिका को परिभाषित करने के साथ-साथ परियोजना और रणनीतियों पर परिप्रेक्ष्य पर प्रकाश डालते हुए एसपीएमयू टीम के लिए प्रोजेक्ट ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रारूप के विकास के साथ बोडोलैंड पर द्वितीयक डेटा एकत्र करने के साथ-साथ एक जीआईएस-आधारित परियोजना स्थान मानचित्र का काम प्रगति पर है।
- बीआरएलएफ एसपीएमयू संचालन और मानक संचालन प्रक्रियाओं पर तीन दिवसीय अभिविन्यास रांची, झारखंड में आयोजित किया गया था।

हाई इम्पैक्ट मेगा वाटरशेड परियोजना, महाराष्ट्र


बीआरएलएफ और आयुक्त मनरेगा, महाराष्ट्र सरकार ने संयुक्त रूप से 'हाई इम्पैक्ट मेगा वाटरशेड परियोजना' परियोजना को लागू करने के लिए 8 सितंबर, 2022 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। परियोजना का लक्ष्य मनरेगा से धन का लाभ उठाकर उचित भूमि और जल उपचार उपायों के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ क्षेत्रों के 5 जिले के 26 चयनित ब्लॉक में गरीब, आदिवासी और अन्य कमजोर परिवारों के लिए स्थायी आजीविका बनाना है। इस परियोजना का लक्ष्य किसानों की आय को दोगुना करना है और गरीब, आदिवासियों व अन्य कमजोर परिवारों के जीवन में समृद्धि लाना है। इस परियोजना से कम से कम 100,000 छोटे और सीमांत परिवारों की आय लगातार दोगुनी होने की उम्मीद है।

परियोजना अवधि सितंबर 2023 – अगस्त 2027 (एमओयू पर 8 सितंबर, 2022 को हस्ताक्षर किए गए)

सरकारी विभाग आयुक्त कार्यालय मनरेगा, महाराष्ट्र सरकार



जिले
05



ब्लॉक
26



लक्षित कुल परिवार
100,000

हाई इम्पैक्ट वाली मेगा वाटरशेड परियोजना वाटरशेड मोड में मनरेगा के प्रभावी कार्यान्वयन को एकीकृत करेगी, जिसमें 'आज संपत्ति बनाएं, कल समृद्धि लाएं' की धारणा होगी। इस परियोजना में उचित नेट प्लानिंग (जीआईएस मैपिंग को लागू करने के माध्यम से हाइड्रोलॉजिकल और रिज-टू-वैली दृष्टिकोण), स्थापना से कार्यान्वयन तक समुदाय की सक्रिय भागीदारी, ग्राम पंचायतों का क्षमता निर्माण, मनरेगा के तहत अग्रणी कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियाँ (पीआईए) और राज्य के सबसे वंचित और संसाधन-गरीब भौगोलिक क्षेत्रों में परियोजना कार्यान्वयन शामिल होगा।



साझेदारी वाली अन्य परियोजनाएँ:

उत्कल एक्शन फॉर एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना – ओडिशा

29 सितंबर, 2020 को बीआरएलएफ और उत्कल एल्यूमिना इंटरनेशनल लिमिटेड (यूएआईएल) ने काशीपुर और टी. रामपुर ब्लॉक में 15,000 छोटे और सीमांत किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एपीसी मॉडल के सिद्धांतों के आधार पर, इस परियोजना के कई प्रमुख परिणाम थे: कृषि उत्पादकता और फसल तीव्रता में वृद्धि, कुशल उत्पादन और बाजार संगठन के लिए एपीसी मॉडल को लागू करना, जल संसाधनों और सिंचाई के बुनियादी ढांचे में सुधार, सर्वोत्तम पालन प्रथाओं के माध्यम से पशुधन उत्पादकता में वृद्धि, कम इनपुट लागत वाली गैर-कीटनाशक-आधारित कृषि पद्धतियों को शुरू करना, और गैर-लकड़ी वन उपज और लघु वन उपज के लिए एक लाभ देने वाली मूल्यवान शृंखला सिस्टम को स्थापित करना।



परियोजना का प्रभाव:


- लक्षित ब्लॉकों के 84 गाँवों में 11,127 परिवारों का कवरेज।
- गाँवों में 55 उत्पादक समूहों का गठन।
- 891 एकड़ भूमि को सिंचित भूमि में परिवर्तित करने से लगभग 510 परिवारों को लाभ हुआ।
- 63 एकड़ में नैनो वाडी का विकास और 288 परिवारों द्वारा 555.72 एकड़ में फलदार वृक्ष रोपण को बढ़ावा देना।
- उत्पादक समूह के किसानों के लिए बाजार पहुँच बढ़ाने के लिए 46 कृषि उद्यमियों की स्थापना।
- 1,360 परिवारों द्वारा गैर-कीटनाशक-आधारित (एनपीएम) कृषि को अपनाने से इनपुट लागत में कमी आई है।
- परियोजना-संबंधित गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए 540 प्रमुख किसानों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।
- वित्त वर्ष 2022-23 में परियोजना गतिविधियों के पूरक के लिए विभिन्न सरकारी विभागों से 4.43 करोड़ रुपये का लाभ उठाना।

गैर-अधिसूचित जनजातियों / घुमंतू जनजातियों की आजीविका में सुधार परियोजना, महाराष्ट्र

कुछ गैर-अधिसूचित जनजातियाँ भी हैं जिन्हें भारत में पहले अंग्रेजों द्वारा 'आपराधिक जनजातियों' के रूप में वर्गीकृत किया गया था, ये कई तरह के कलंक और भेदभाव का सामना करते आए हैं। बीआरएलएफ की डीएनटी/एनटी परियोजना के दूसरे चरण का लक्ष्य महाराष्ट्र के दौंड तहसील में 150 पारधी परिवारों की आजीविका में सुधार करना है। यह परियोजना पद्मश्री गिरीश प्रभुणे के नेतृत्व में चल रही है जिसका लक्ष्य रोजगार के नए-नए अवसर विकसित करना है और ऐतिहासिक रूप से सीमान्त पारधी समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का उत्थान करना है। यह परियोजना सकारात्मक प्रभाव के लिए स्थायी आय-सृजन गतिविधियाँ निर्मित करने पर केंद्रित है।

परियोजना का उद्देश्य:

इस परियोजना का उद्देश्य उपयुक्त आजीविका के लिए पहल करना, उद्यमिता को बढ़ावा देना और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक बेहतर पहुँच के माध्यम से पारधी समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का उत्थान करना है। इस परियोजना के द्वारा 10.5 एकड़ भूमि का उपयोग करके, स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कृषि, बागवानी और पशुपालन जैसी आय-सृजन गतिविधियाँ स्थापित की गईं। इस परियोजना में समुदायों और हितधारकों के साथ घनिष्ठ सहयोग शामिल है, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए भागीदारी विजन अपनाया जाता है। पारधी परिवारों के लिए प्रशिक्षण और संसाधनों की पहुँच के माध्यम से क्षमता निर्माण को भी प्राथमिकता दी जाती है।



आदिवासी परिवारों की आजीविका में सुधार, मध्य प्रदेश

बीआरएलएफ ने प्रस्ताव के लिए दूसरी कॉल के माध्यम से चुने गए दो भागीदार, मानव जीवन विकास समिति (एमजेवीएस) और ग्रामीण सेवा संस्थान (जीएसएस) के लिए इस परियोजना की अवधि को जून 2023 तक बढ़ा दिया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य 18,500 गरीब आदिवासी परिवारों की आजीविका में सुधार करना है। पहले चरण में 15,000 और दूसरे चरण में 3,500 गरीब आदिवासी परिवारों को कवर किया गया।



प्रमुख उद्देश्य:

- विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को समेकित करना और एक स्थायी प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संरचना को लागू करके आदिवासी समुदायों के लिए स्थायी आजीविका, भोजन और पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करना।
- बेहतर और सतत कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देना, उत्पादकता बढ़ाना, कृषि उपज का विपणन करना और गैर-कीटनाशक प्रबंधन (एनपीएम) को अपनाना।
- किसान हित समूहों, महिला स्वयं सहायता समूह और अन्य सामुदायिक संस्थानों के माध्यम से 20 ग्राम पंचायतों के 31 गाँवों में एकत्रीकरण केंद्र और कृषि उत्पादन क्लस्टर स्थापित करना।
- परियोजना के पहले चरण में सीखी गई सर्वोत्तम प्रथाओं पर आधारित, पारंपरिक फसलों के साथ गैर-कीटनाशक प्रबंधन और सूक्ष्म-योजना को बढ़ावा देना।
- मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के सहयोग से समुदाय-आधारित पर्यावरण मैत्री पर्यटन (इकोटूरिज्म) को बढ़ावा देने के लिए 12 होमस्टे स्थापित करना।

परियोजना के सकारात्मक प्रभाव:

- वन अधिकार अधिनियम के तहत 4,221 भूमि अधिकार दावों में से 50 प्रतिशत का निपटारा किया जा चुका है।
- सामुदायिक वन अधिकार के लिए प्रस्तुत 23 दावों में से 20 का निपटारा किया जा रहा है।
- सरकारी योजनाओं/विभाग के अधिकार एवं पात्रता कार्यक्रमों से 3,000 परिवार लाभान्वित हुए हैं।
- अलाइव किसान उत्पादक संगठनों ने मसालों, तुअर और बाजरा की प्रोसेसिंग शुरू की। 1,008 किसान तुअर उत्पादन कर रहे हैं, और 1,480 किसान व्यावसायिक सब्जी की खेती करते हैं।
- 309 वाटरशेड संरचनाएँ निर्मित की गई हैं, जिससे लगभग 3,115 परिवारों को लाभ हुआ और 3,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हुई है।
- 441 परिवारों को मनरेगा के अंतर्गत भूमि विकास के काम प्राप्त हुए हैं।
- 5,725 किसानों ने उन्नत कृषि पद्धतियाँ अपनाई हैं, जिससे प्रति एकड़ उत्पादन में 4-5 क्विंटल की शानदार वृद्धि हुई है।



- 6,869 किसानों ने उन्नत और गैर-कीटनाशक प्रबंधन-आधारित कृषि अपनाई है।
- बीआरएलएफ विभाग और एमजेवीएस के सहयोग से 383 परिवारों ने बैकयार्ड मुर्गीपालन को अपनाया है, 109 परिवारों ने मछली पालन शुरू किया और 122 ने बकरी पालन को चुना है।
- ALIVE FPO मार्गदर्शन के तहत वन उपज संग्रहण और बिक्री के माध्यम से 3,532 परिवारों की आय में सुधार हुआ।
- वर्तमान में, एमजेवीएस, केवीके, बागवानी और कृषि विभागों के सहयोग से 6,024 परिवार किचन गार्डनिंग का अभ्यास कर रहे हैं।
- कृषि संबंधी अंतः क्षेत्रों से 6,869 परिवारों की कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

क्षमता निर्माण


विकास प्रबंधन में एमबीए करवाना

विकास प्रबंधन में एमबीए करवाने का उद्देश्य है— परिचालन और रणनीतिक स्तरों पर पेशेवर भूमिकाओं के लिए स्नातकों को तैयार करने हेतु समेकित शिक्षा प्रदान करना। विशेषज्ञताओं में वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य शिक्षा, आजीविका संवर्धन कौशल, उद्यमिता और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन शामिल हैं।

बीआरएलएफ प्रतिभाशाली आदिवासी छात्रों को आईआईएचएमआरयू, जयपुर में दो साल के एमबीए इन-डेवलपमेंट मैनेजमेंट के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह पहल 2017 में एमबीए डीएम शैक्षणिक सत्र 2017-19 के उम्मीदवारों के लिए छह आदिवासी छात्रों के समर्थन के साथ शुरू हुई। इसके बाद, सत्र 2018-20 से 2022-24 तक के लिए समर्थन जारी रहा, जिससे 9 ग्रामीण आजीविका में प्रमाणपत्र कार्यक्रम के पूर्व छात्रों सहित-39 आदिवासी युवाओं को लाभ हुआ। छात्रों को दो साल के पाठ्यक्रम के दौरान कक्षा, फील्ड मॉड्यूल, दो महीने की ग्रीष्मकालीन इंटरनशिप और एक शोध प्रबंध अध्ययन करना पड़ता है।

नियोक्ता संगठनों के नाम: झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, सेवा, विकास सहयोग केंद्र, इंडिया हेल्थ एक्शन ट्रस्ट, नीड्स (उद्यम संवर्धन और विकास सहायता के लिए नेटवर्क), एकजुट, प्रज्ञा, प्रदान (विकास के लिए व्यावसायिक सहायता) एक्शन), मिडलैंड माइक्रोफाइनेंस लिमिटेड, AITREE (पारिस्थितिकी और पर्यावरण में अनुसंधान के लिए अशोक ट्रस्ट), कैरिटास, सृजन, धारा संस्था, और मानव जीवन विकास समिति।

सत्र	कुल छात्र	पुरुष	महिला
2017-19	6	1	5
2018-20	6	2	4
2019-21	4	2	2
2020-22	6	4	2
2021-23	8	5	3
2022-24	9	5	4
कुल	39	19	20



भौगोलिक विस्तार

राज्य	छात्र
छत्तीसगढ़	4
झारखंड	26
ओडिशा	2
मध्य प्रदेश	2
महाराष्ट्र	5



“आईआईएचएमआर विश्वविद्यालय और बीआरएलएफ के साथ मेरा अनुभव वास्तव में उल्लेखनीय रहा है। आईआईएचएमआर विश्वविद्यालय में 2023 में समाप्त होने वाले दो वर्षीय एमबीए पाठ्यक्रम में दाखिला लेना फायदेमंद रहा है। 2021 में कोविड के समय में ऑनलाइन कक्षाएँ चुनौतीपूर्ण थीं, लेकिन अटूट समर्थन और मार्गदर्शन संकाय और वरिष्ठों ने मुझे उनसे उबरने में मदद की। क्षेत्र के दौरोँ ने व्यावहारिक शिक्षा के अनुभव प्रदान किए जिससे मेरा ज्ञान एवं कौशल और अधिक समृद्ध हुआ। मैं अपनी एमबीए यात्रा के दौरान बीआरएलएफ के निरंतर समर्थन के लिए बेहद आभारी हूँ, जो सफलता की मेरी राह को आकार देने में महत्वपूर्ण है। मैं गर्व से मानव जीवन विकास समिति के साथ ब्लॉक समन्वयक के रूप में काम कर रहा हूँ, यह पद मुझे बीआरएलएफ के माध्यम से एमबीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद मिला है। मुझे यह अवसर देने के लिए पूरे बीआरएलएफ परिवार और आईआईएचएमआर विश्वविद्यालय के प्रति मेरा हार्दिक आभार।”

अनिल कर्मा
सत्र 2021-23






ग्रामीण आजीविका में प्रमाणपत्र कार्यक्रम

बीआरएलएफ और आईआईएचएमआर विश्वविद्यालय की ओर से आदिवासी ग्रामीण पेशेवरों के लिए ग्रामीण आजीविका में प्रमाणपत्र कार्यक्रम (सीपीआरएल) एक संयुक्त क्षमता-निर्माण पहल है। यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास क्षेत्र के लिए उप-जिला स्तर पर काम करने वाले मौजूदा और महत्वाकांक्षी आदिवासी ग्रामीण पेशेवरों (18-40 वर्ष) के सामने आने वाली क्षमता निर्माण चुनौतियों का समाधान करता है, चाहे वह गैर सरकारी संगठनों, सरकारी संस्थानों और पहलों के माध्यम से, या पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में हो।


सीपीआरएल स्नातकों की स्थिति



ग्रामीण आजीविका में प्रमाणपत्र कार्यक्रम में लक्षित समूहों और विभिन्न संस्थागत भागीदारों (सरकार और सीएसओ) के लिए ग्रामीण आजीविका पर क्षमता-निर्माण मॉड्यूल की एक सीरिज शामिल है। यह एक बहु-केंद्र, बहु-विषयक अद्वितीय कार्यक्रम है जिसमें आईटी-आधारित क्षेत्र-शिक्षण के प्रति मजबूत पूर्वाग्रह है। इस कार्यक्रम का पहला सत्र 15 नवंबर 2016 को लॉन्च किया गया था और मार्च 2021 तक, 174 आदिवासी युवाओं के 6 सत्र इस समूह का हिस्सा बन चुके थे। 146 युवाओं ने पाठ्यक्रम पूरा किया और जमीनी स्तर पर विभिन्न सीएसओ और पीआरआई के साथ काम कर रहे हैं। छठे सत्र के 28 युवाओं ने आंशिक रूप से पाठ्यक्रम पूरा किया, जिसे 12 दिसंबर, 2019 को लॉन्च किया गया था। हालाँकि, बैच को COVID-19 महामारी के कारण रोक दिया गया था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कार्यक्रम का मूल्यांकन चल रहा था और कोई नया बैच शुरू नहीं किया गया था।



सीपीआरएल स्नातकों का भौगोलिक विस्तार



“वित्तीय बाधाओं ने मुझे अपना स्नातक पूरा करने से रोक दिया और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण मुझे खेती करनी पड़ी। हालाँकि, मेरे जीवन में तब बदलाव आया जब मेरी मुलाकात सीपीआरएल के पूर्व छात्र रमेश सिंह से हुई, जिन्होंने मुझे कृषि और जल संरक्षण के अंतर्गत गहराई में जाने के लिए प्रेरित किया। इससे प्रोत्साहित होकर मैंने 2019-20 में 6 महीने का सीपीआरएल कोर्स किया। पूरा होने पर, मुझे सहकारी ग्रामीण विकास संस्थान में रोजगार मिला, जहाँ मैं अब ग्रामीणों के लिए एक मास्टर ट्रेनर के रूप में काम करता हूँ। मैं साथी किसानों को विभिन्न ग्रामीण विकास मॉड्यूल, जैसे गैर-कीटनाशक कृषि, मुर्गीपालन, बकरी पालन और मछली पालन पर शिक्षित करता हूँ, ये सभी चीजें मैंने सीपीआरएल पाठ्यक्रम के दौरान सीखीं। इस बहुमूल्य अवसर कारण मुझे समुदाय के साथ जुड़ने और उनके जीवन को सक्रिय रूप से प्रभावित करने का मौका मिला है।”

भुनेश्वर प्रसाद सिंह
(सीपीआरएल-छठा सत्र) सूरजपुर, छत्तीसगढ़

“सीपीआरएल पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद से, मैंने तीन वर्षों तक नासिक में “प्रगति अभियान” के साथ काम किया है। ब्लॉक स्तर पर क्लस्टर रिसोर्स पर्सन के रूप में, मैं रागी विकास और बकरी और मुर्गी पालन पर केंद्रित परियोजनाओं की देखरेख करता हूँ। मैं स्वयं सहायता समूहों और किसान समूहों को जैविक खेती पर प्रशिक्षण भी प्रदान करता हूँ। मनरेगा के माध्यम से, मैंने 1600 से अधिक लोगों को 8000 कार्य दिवसों के लिए रोजगार की सुविधा प्रदान की है। सीपीआरएल पाठ्यक्रम ने यह सब संभव करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि इसने मुझे विकास मॉडलों का व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया, जिससे क्षेत्र में हमारा काम बहुत आसान हो गया। मैं इस अमूल्य अवसर के लिए बीआरएलएफ का बहुत आभारी हूँ।”

सुनील घोडे
(सीपीआरएल-छठा सत्र) नासिक, महाराष्ट्र

ग्रीन हब सेंद्रल इंडिया यूथ फेलोशिप और वीडियो फॉर चेंज

ग्रीन हब सेंद्रल इंडिया (जीएचसीआई) यूथ फेलोशिप मध्य भारत में आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाने के लिए डस्टी फुट फाउंडेशन की एक पहल है। यह सकारात्मक कार्यवाई के लिए एक संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करता है और नवोन्मेषी डिजिटल मीडिया प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को संरक्षण में संलग्न करता है।

बीआरएलएफ आदिवासी युवाओं को ग्रीन हब सेंद्रल इंडिया (जीएचसीआई) युवा फेलोशिप प्रदान करता है, जिसमें फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, संपादन, कथा वर्णन, संरक्षण, आजीविका, लिंग और युवा कल्याण इत्यादि शामिल विभिन्न विषयों वाला 2 महीने का आवासीय प्रशिक्षण शामिल है। प्रशिक्षण के बाद, फेलो/विद्यार्थी को ग्रामीण आजीविका, संरक्षण और वन्य जीवन पर काम करने वाले संगठनों के साथ 8 महीने की इंटर्नशिप करनी पड़ती है, जिसमें मध्य प्रदेश इको-टूरिज्म बोर्ड, वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट, स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी, एकास्था फाउंडेशन और अन्य शामिल हैं।

फेलोशिप का पहला सत्र 5 सितंबर, 2021 को शुरू हुआ, जिसमें 17 स्नातकों ने 15 जुलाई, 2022 को आयोजित ग्रीन हब उत्सव के दौरान अपने वीडियो वृत्तचित्र (डॉक्यूमेंट्री फिल्म) प्रदर्शित किए। वृत्तचित्रों में पर्यावरण-पर्यटन, ग्रामीण आजीविका, प्रारंभिक शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और मनरेगा को शामिल किया गया।

जुलाई 2022 में 25 फेलो/विद्यार्थी/अध्येताओं के साथ लॉन्च किए गए दूसरे सत्र के विद्यार्थियों ने कैमरा हैंडलिंग, फोटोग्राफी, कथा वर्णन और संपादन पर प्रारंभिक 2 महीने का आवासीय प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। वे वर्तमान में तितली ट्रस्ट, आधारशिला शिक्षा समिति, सिनर्जी संस्थान, आशा फाउंडेशन, आईडीएच सस्टेनेबल ट्रेड इनिशिएटिव, सेफ हार्वेस्ट, ग्राम सुधार समिति, एकस्थ फाउंडेशन और द कॉर्बेट फाउंडेशन जैसे संगठनों के साथ इंटर्नशिप कर रहे हैं। दूसरे सत्र का जुलाई 2023 में स्नातक होने की उम्मीद है।

पुरस्कार और मान्यता

उत्सव	वर्ग	फिल्म का नाम	फेलो का नाम
राष्ट्रीय पर्यटन लघु फिल्म महोत्सव 2022	दूसरा सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र	उमरिया की यात्रा	विजय रामटेके और नरेंद्र सिंह पारधी
छठा अल्पविराम अंतर्राष्ट्रीय युवा फिल्म महोत्सव 2022	दर्शकों की पसंद पुरस्कार	पहाड़ से बने पहाड़ी कोरवा	आरती सिंह और अरविंद दोहरे
गॉसर सिने फेस्ट 2023	वृत्तचित्र श्रेणी में प्रथम पुरस्कार	जन गण वन	अजय भूरिया, रवि कुमार कनव, महिमा मरावी और रोहित सरवरे





मूल्यांकन, सीख और पोषण के लिए संगठनात्मक परिवर्तन पहल (OCEAN)

विकास आवश्यकताओं को पूरा करने में सीएसओ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लेकिन उन्हें आगे बढ़ने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रभावशाली परिणामों के लिए संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करना आवश्यक है। बीआरएलएफ द्वारा वित्त पोषित OCEAN कार्यक्रम ओडिशा में 12 भागीदार सीएसओ की स्थिरता हासिल करने और उनकी परियोजनाओं को बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण के लिए बनाया गया था।

OCEAN कार्यक्रम में ओडिशा में भागीदार सीएसओ की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए कई मॉड्यूल शामिल हैं। ये मॉड्यूल विविध विषयों को कवर करते हैं, जिनमें सीखने के लिए ग्राउंड तैयार करना, प्रभावी संचार और कनेक्शन रणनीतियाँ, लिंग संवेदीकरण, समूह प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाना, दूरदर्शिता और योजना, प्रेरणा, समूह कार्यप्रणाली, आजीविका पर परिप्रेक्ष्य निर्माण, लेखन कौशल, आंतरिक संसाधन व्यक्ति और पोषण निरंतर वृद्धि और सुधार शामिल हैं। ये मॉड्यूल सामूहिक रूप से सीएसओ को उनकी संस्थागत क्षमताओं को बढ़ाने और ओडिशा के आदिवासी क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए सशक्त बनाते हैं।

मुख्य परिणाम:

वितरित मॉड्यूल	कुल सीएसओ	सत्रों की संख्या	प्रतिभागियों की कुल संख्या	मुख्य सीख / शिक्षा / लर्निंग
सीखने की समूह प्रक्रिया	12	1	24	<ul style="list-style-type: none"> आत्मचिन्तन एवं अनुभूति का बोध समूह में कार्य करने के लिए आत्मविश्वास पैदा करना एक साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तत्पर होना व्यवहार के पैटर्न और समूह पर प्रभाव समूह और पारस्परिक संपर्क में प्रभावशीलता प्रतिक्रिया प्राप्त करना और उससे प्रभावित होना
अहिंसक संचार		2	46	<ul style="list-style-type: none"> उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच अंतर आत्म सहानुभूति उदार संचार करना सीखना कनेक्शन अनुरोध और कार्रवाई अनुरोध के बीच अंतर
दूरदर्शिता और योजना		1	36	<ul style="list-style-type: none"> भूमिका प्रभावकारिता तात्कालिक एवं दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करना प्रेरक वातावरण स्थापित करना विविधता और समावेशन आईआरजी सदस्यों की भूमिका
उपलब्धि की प्रेरणा		3	24	<ul style="list-style-type: none"> उपलब्धि प्रेरणा की अवधारणा प्रेरक प्रोफाइल प्रेरणा बढ़ाने के लिए अंतर्दृष्टि विकसित करना उपलब्धि योजना की तैयारी
प्रलेखन (लेखन कौशल)		1	24	<ul style="list-style-type: none"> केस स्टडी की संरचना केस स्टडीज के लिए लेखन शैलियाँ



“लर्निंग के बारे में खूबसूरत बात यह है कि यह एक ऐसा उपहार है जिसे कोई भी आपसे कभी नहीं छीन सकता। मैं बीआरएलएफ द्वारा समर्थित OCEAN परियोजना के तहत जिन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया, उनके लिए मैं आभारी हूँ। उन्होंने आत्म-चिंतन के लिए मूल्यवान अवसर प्रदान किए और मुझे व्यक्तिगत रूप से और मेरे संगठन के भीतर बढ़ने में मदद की। कार्यक्रम वास्तव में आँखें खोलने वाला था और मैं इसके सिद्धांतों को अपने काम में लागू करने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक बदलाव आए हैं।”

सुरेश के.एम. प्रधान

कार्यक्रम प्रबंधक, यूथ काउंसिल ऑफ डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स (YCDA)

“OCEAN हमारी टीम के भीतर सार्थक संबंधों को बढ़ावा देने, रचनात्मक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने और हमें साझा संगठनात्मक लक्ष्यों की ओर संरेखित करने में सहायक रहा है। प्रशिक्षण टीम के कुछ सदस्यों के लिए जीवन-परिवर्तनकारी रहा है, आत्मनिरीक्षण को बढ़ावा देता है और विश्वास का निर्माण करता है। OCEAN कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त अंतर्दृष्टि से आकर्षित होकर, मैं SIRD के लिए एक संसाधन व्यक्ति भी बन गया हूँ। मैं समृद्ध सीख और हमारे संगठन पर इसके सकारात्मक प्रभाव के लिए आभारी हूँ।”

गुरु गोविंद सिंह माझी

कार्यक्रम प्रबंधक, श्रमिक शक्ति संघ

राजमिस्त्री और बढ़ई के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम – मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड (एमपीटीबी) के सहयोग से, मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य पर्यटन क्षमता वाले गाँवों में परिवारों को सशक्त बनाकर जिम्मेदार ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना है। बीआरएलएफ ने पारंपरिक निर्माण तकनीकों में स्थानीय राजमिस्त्रियों, बढ़ई और कारीगरों की क्षमता का निर्माण करने के लिए हुनरशाला फाउंडेशन और एमपीटीबी के साथ साझेदारी की है जो स्वदेशी समुदाय की संस्कृति और परंपराओं को दर्शाती है।

इस पहल के लिए लगभग 100 गाँवों का चयन किया गया है, प्रत्येक में क्षेत्रीय वास्तुकला शैलियों और आदिवासी कला और संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले 6-8 क्यूरेटेड होमस्टे होने की उम्मीद है। पारंपरिक प्रौद्योगिकियों में विशेषज्ञता वाले कुशल कारीगर स्थानीय स्तर पर दुर्लभ हैं, इसलिए कार्यक्रम समुदाय की पहचान को संरक्षित करते हुए, पारंपरिक ज्ञान के साथ होमस्टे का निर्माण करने के लिए उपलब्ध राजमिस्त्री और कारीगरों को प्रशिक्षित करने पर केंद्रित है।

एक साल के क्षमता निर्माण कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ और आगर जिले के आठ गाँवों को शामिल किया गया है, जिसमें नींव, दीवारों और छत जैसे संरचना निर्माण के चरणों में सात प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान किए जाते हैं। यह पहल पर्यटन को बढ़ावा देती है और निजी रिसॉर्ट्स और होटलों में सरकारी कार्यक्रमों और सेवाओं के माध्यम से प्रशिक्षित कारीगरों के लिए बेहतर आजीविका के अवसर प्रदान करती है।

प्रमुख परियोजना प्रभाव संख्याएँ

- 3 मॉड्यूल कवर – फाउंडेशन से रूफिंग और वॉलिंग।
- सत्रों की संख्या – 16 सत्र
- राजमिस्त्री प्रशिक्षित – 72

यह परियोजना अगस्त 2021 में शुरू हुई और जुलाई 2022 में पूरी हुई।





छत्तीसगढ़ और झारखंड के आठ सीएसओ भागीदारों के लिए स्थानीय धन संग्रहण प्रशिक्षण

स्माइल फाउंडेशन और चेंज द गेम एकेडमी द्वारा

बीआरएलएफ ने स्थानीय फंड संग्रहण के लिए छत्तीसगढ़ और झारखंड में चयनित सीएसओ की क्षमता बढ़ाने के लिए स्माइल फाउंडेशन के साथ साझेदारी की। वाइल्ड गैंजेन फाउंडेशन के सहयोग से, स्माइल फाउंडेशन ने चेंज द गेम एकेडमी (सीटीजीए) का सह-निर्माण किया, जिसका उद्देश्य सामाजिक उद्यमियों और जमीनी स्तर के संगठनों की धन संग्रहण की क्षमताओं को मजबूत करना है। भारत में, इस पहल को चेंज गेम इंडिया (सीटीजीआई) कहा जाता है, जिसमें स्माइल फाउंडेशन एशिया क्षेत्र के लिए नोडल संगठन और राष्ट्रीय भागीदार संगठन (एनपीओ) है।

बेहतर धन संग्रहण की क्षमता और स्थिरता के लिए, बीआरएलएफ और स्माइल फाउंडेशन ने स्थानीय धन संग्रहण पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए छत्तीसगढ़ और झारखंड के आठ सीएसओ की पहचान की। कार्यक्रम में पाँच दिनों का आवासीय प्रशिक्षण शामिल है जिसमें अवधारणाएँ, विज्ञान और धन संग्रहण की योजना शामिल है। देश के संसाधनों से धन जुटाने के प्रति सीएसओ के ज्ञान और विज्ञान में सुधार करने के लिए इस कार्यक्रम की संकल्पना की गई है। कार्यक्रम में नेतृत्व अभिविन्यास, धन संग्रहण प्रशिक्षण, कोचिंग, वेबिनार और एक संयुक्त शिक्षण विनिमय गतिविधि शामिल है।

मुख्य परियोजना परिणाम:

- प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 8 सीएसओ शामिल हुए। झारखंड से 3 सीएसओ और छत्तीसगढ़ से 5 सीएसओ।
- 8 सीएसओ के 16 प्रतिभागियों को पाँच दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया गया।
- स्थानीय धन संग्रहण की योजना को क्रियान्वित करने के लिए प्रशिक्षण और सहायता जारी है।
- सभी सीएसओ ने धन संग्रहण के लिए मई और जून 2023 में एक बड़े आयोजन की योजना बनाई है।
- सीएसओ ने स्थानीय धन संग्रहण वाले कार्यक्रमों के लिए जो जो विषय चुने थे वे हैं – बीज बैंक विकास, स्थानीय खाद्य महोत्सव, संगठन का वार्षिक दिवस, आदि।



“गेम बदलना एक अच्छा एहसास है। पाँच दिन अनोखे रहे— सीखने की शैली, संचार और डोनर मैपिंग। बहुत महत्वपूर्ण है – प्रस्ताव लेखन, बास्केट एप्रोच। इन पाँच दिनों ने मेरे संगठन को बहुत कुछ दिया है। मैं बीआरएलएफ को बधाई देना चाहता हूँ...इतनी सारी नई चीजें हम अपने साथ लेकर जा रहे हैं। इस नई सीख के लिए आप सभी को धन्यवाद।”



श्याम सुंदर यादव
लोक शक्ति समिति, छत्तीसगढ़



अनुसंधान एवं ज्ञान प्रबंधन

पुस्तक विमोचन: जनजातीय विकास रिपोर्ट: खंड 1 और 2

बीआरएलएफ ने विवेक बढ़ाने के लिए आदिवासियों के जीवन, विकास कार्यक्रमों और नीतिगत चुनौतियों पर केस अध्ययन, अभिलेखीय अनुसंधान और व्यापक डेटा संकलित किया है। प्रसिद्ध शिक्षाविदों, विषयगत विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं द्वारा लिखे गए विषयों पर निबंध का एक संग्रह डॉ. मिहिर शाह और प्रोफेसर विजय शंकर द्वारा संपादित किया गया था और रूटलेज और सीआरसी प्रेस द्वारा दो खंडों में प्रकाशित किया गया था। अनुसंधान टीम ने प्रशासन, मानव विकास, लिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, कला और संस्कृति को कवर करते हुए मध्य भारतीय जनजातीय बेल्ट (सीआईटीबी) में जनजातीय समुदायों के विभिन्न पहलुओं की खोज करने वाले निबंधों के दो संस्करणों को संपादित करने और प्रकाशित करने के लिए विशेषज्ञों के साथ सहयोग किया। रूटलेज और सीआरसी प्रेस ने इन संस्करणों को जारी किया, और एक अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च कार्यक्रम 28 नवंबर 2022 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में हुआ। पुस्तकों का विमोचन डॉ. सोनाझरिया मिंज, कुलपति, सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका, झारखंड द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठित शिक्षाविदों और लेखकों के साथ समृद्ध पैनल चर्चाएँ हुई थीं, इससे भी अधिक किफायती दक्षिण-एशियाई संस्करण अभी प्रगतिशील है जो 2023 में जारी किया जाएगा।





बोडोलैंड पर वर्किंग पेपर शृंखला

बीआरएलएफ ने हाल ही में आजीविका पर एक परियोजना का समर्थन करने के लिए बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र की सरकार के साथ एक समझौता किया है। शोध दल ने बोडोलैंड के विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति पर तीन कार्य पत्रों की एक शृंखला की योजना बनाई थी, जो जीवन की गुणवत्ता और आजीविका की स्थिरता, अर्थात् कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं। इन्हें उन क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन के लिए बोडोलैंड की स्थिति और आगे बढ़ने के तरीके को समझने के लिए पृष्ठभूमि कागजात के रूप में कार्य करना चाहिए था। कृषि और स्वास्थ्य पर पेपर उन्नत चरण में है और शिक्षा पर पेपर प्रारंभिक चरण में है।

छठी अनुसूची क्षेत्रों में स्वायत्त परिषद में कृषि का प्रदर्शन: बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद पर एक केस अध्ययन – जारी है

यह बोडोलैंड में कृषि की स्थिति पर बीआरएलएफ रिसर्च टीम द्वारा तैयार किया गया एक वर्किंग पेपर है। बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र असम में एक स्वायत्त क्षेत्र है। उच्च कृषि उत्पादकता कई फसलों के लिए बोडोलैंड की विशेषता है। तदनुसार, लेखक इनपुट (जैसे भूमि, पानी, उर्वरक, कीट नियंत्रण, कृषि मशीनरी, वित्त और श्रम) और आउटपुट (फसलों के प्रकार, कवरेज और आउटपुट) पर नवीनतम डेटा को देखकर कृषि उत्पादकता का विश्लेषण करते हैं। कृषि की भूमिका समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है और इसकी संस्कृति और अर्थव्यवस्था से पूरी तरह जुड़ी हुई है। यह पेपर क्षेत्र में कृषि में सुधार के लिए सिफारिशें भी प्रदान करता है।

पेपर को समीक्षा और टिप्पणियों के लिए बाहरी विशेषज्ञ के पास भेजा जाता है।

छठी अनुसूची क्षेत्रों में स्वायत्त परिषद में स्वास्थ्य का प्रदर्शन: बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद पर एक केस अध्ययन – जारी है

यह बोडोलैंड की स्वास्थ्य स्थिति पर एक वर्किंग पेपर है, जिसे बीआरएलएफ अनुसन्धान टीम द्वारा नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू) के एक प्रशिक्षु की सहायता से तैयार किया जा रहा है। पेपर में बोडोलैंड स्वास्थ्य क्षेत्र के इनपुट (सरकारी बजट और कार्यक्रम वितरण पहलू) और परिणामों (विभिन्न स्वास्थ्य संकेतक) पर चर्चा की गई है। इस पेपर पर काम जारी है और पहला ड्राफ्ट पूरा होने के करीब है।



बीआरएलएफ परियोजनाओं पर केंद्रित शोध पत्र:

पेपर का शीर्षक: 'महिला किसानों के सामूहिकीकरण के माध्यम से आजीविका में वृद्धि: ओडिशा से एक केस अध्ययन'

सम्मेलन: आईएसआई 82वां वार्षिक सम्मेलन

सार: यह पड़ताल करता है कि ओडिशा की एपीसी परियोजना में महिला किसानों के सामूहिकीकरण ने उनकी सौदेबाजी की शक्ति/अंदाज, बाजार संपर्क और आय में कैसे सुधार किया गया।

'लिंग समानता और सुविधाजक/अनुकूल कृषि' विषय के तहत प्रस्तुत सर्वश्रेष्ठ पेपर के लिए डॉ. एनए मजुमदार पुरस्कार दिया गया

पेपर का शीर्षक: 'भारत में समुदाय-आधारित संगठन और वित्तीय समावेशन: संभावनाएँ, चुनौतियाँ और आगे का रास्ता'

सम्मेलन: AERA 30वाँ वार्षिक सम्मेलन

सार: ओडिशा के कालाहांडी और कोरापुट जिले में ग्रामीण वित्तीय समावेशन में एसएचजी की भूमिका की जाँच करना।

पेपर का शीर्षक: 'किसानों की आय बढ़ाने में किसानों और कृषि-आधारित उद्यमिता का सामूहिकीकरण: ओडिशा में एपीसी के अनुभव'

सम्मेलन: पहला बोडोलैंड ज्ञान महोत्सव

सार: यह जाँच करता है कि कैसे एपीसी परियोजना में सामूहिकता ने किसानों की आय में वृद्धि की और कृषि-आधारित उद्यमिता को बढ़ावा दिया।

पुस्तक अध्याय: 'भारत में स्वदेशी लोगों पर सामाजिक कल्याण नीतियों का प्रभाव: ओडिशा और छत्तीसगढ़ से मामले का अध्ययन'

स्थिति: प्रकाशन के लिए स्वीकृत सार: ओडिशा और छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदायों के लिए सरकारी कार्यक्रमों को लागू करने में बीआरएलएफ की भागीदारी के प्रभाव का अध्ययन।



संसाधन संग्रहण

भारत सरकार 2013 में बीआरएलएफ की स्थापना करते समय 500 करोड़ रुपये का कोष प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध थी। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने पर, बीआरएलएफ को 200 करोड़ रुपये की पहली किश्त प्राप्त हुई। बीआरएलएफ को कॉरपोरेट्स सहित निजी अनुदान स्रोतों से अनुदान जुटाने का काम सौंपा गया था। वित्त वर्ष 2022-23 के अंत तक, बीआरएलएफ टीम ने 3-4 साल की लंबी अवधि वाली परियोजनाओं के लिए पिछले छह वर्षों के दौरान 76.15 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता जताई थी।

सीधे अनुदान प्राप्त करने के अलावा, झारखंड वाटरशेड परियोजना के लिए सह-वित्त के रूप में वेल्थहंगरहिल्फे से 5.4 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्रतिबद्धता जुटाई गई है, जो 2020-21 के दौरान शुरू हुई है। फोर्ड फाउंडेशन से 5.9 करोड़ रुपये इसी परियोजना के लिए आए हैं। वित्त वर्ष 2021-22, जिसने हमें तीन सीएसओ भागीदारों के लिए बीआरएलएफ फंडिंग प्रतिबद्धताओं को प्रतिस्थापित करने में मदद की।

यह दृष्टिकोण परियोजना प्रस्तावों को प्रस्तुत करके सीएसआर फाउंडेशन और अन्य वित्त पोषण एजेंसियों जैसे संस्थागत वित्त पोषण के माध्यम से अनुदान प्राप्त कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, ऐक्सिस बैंक फाउंडेशन ने छत्तीसगढ़ मेगा-वाटरशेड परियोजना के दो साल के दूसरे चरण के लिए 15 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

बीआरएलएफ टीम ने बोडोलैंड उच्च प्रभाव आजीविका परियोजना के लिए धन सहायता जुटाई थी। इसने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ डील बंद कर दी, जो बीआरएलएफ के साथ साझेदारी में सीधे पाँच सीएसओ को अनुदान प्रदान करेगा। केयरिंग फ्रेंड्स ने उसी प्रोजेक्ट के लिए 1.5 करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी दी। इस वर्ष के दौरान, रिसोर्स मोबिलाइजेशन टीम कई कॉरपोरेट्स से जुड़ी है, जिनका सीएसआर एजेंडा बीआरएलएफ के साथ जुड़ा हुआ है, और एचडीएफसी सीएसआर, एनटीपीसी, एसीसी आदि के साथ बातचीत जारी है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन के अनुसार 100 करोड़ रुपये के लक्ष्य हेतु संसाधन संग्रहण के अद्यतन विवरण

स्रोत	प्रतिबद्ध / स्वीकृत (करोड़ रुपये में)	31 मार्च 2023 तक प्राप्त (करोड़ रुपये में)
ए. अक्षय निधि (एंडोमेंट फंड)		
टाटा ट्रस्ट (कॉर्पस)	10.00	10.00
फोर्ड फाउंडेशन (कॉर्पस)	9.96	9.96
कुल (ए)	19.96	19.96
बी. बीआरएलएफ द्वारा प्राप्त अनुदान		
यूएनडीपी और निजी दाता (अनुदान)	1.00	1.00
अर्घ्यम अनुदान (सहभागी भूजल प्रबंधन)	0.93	0.93
अर्घ्यम अनुदान (स्प्रिंगशेड परियोजना)	0.36	0.36
अर्घ्यम अनुदान (क्षमता निर्माण)	0.24	0.24



वीएटेक वबैग अनुदान	2.49	2.49
यूरोपीय संघ अनुदान	7.57	7.57
फोर्ड फाउंडेशन अनुदान (ओडिशा)	4.54	4.54
फोर्ड फाउंडेशन अनुदान (छत्तीसगढ़)	7.85	6.65
ऐक्सिस बैंक फाउंडेशन अनुदान (छत्तीसगढ़)	11.86	11.25
ऐक्सिस बैंक फाउंडेशन ग्रांट (छत्तीसगढ़) – चरण II	15.00	3.60
झारखण्ड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी अनुदान	0.1	0.1
जन-सहयोग निधि (क्राउड फंडिंग)	0.05	0.05
महाराष्ट्र आदिवासी विकास विभाग	2.00	1.4
हिंदुस्तान यूनिलीवर फाउंडेशन	11.62	3.07
जनजातीय कार्य मंत्रालय (योजनाओं का मूल्यांकन)	0.07	0.07
जनजातीय कार्य मंत्रालय (उषरमुक्ति एवं एनजीओ स्क्रीनिंग)	0.86	0.63
जनजातीय कार्य मंत्रालय (जीआईए योजनाएं)	0.05	0.05
जनजातीय कार्य मंत्रालय (क्षेत्र निरीक्षण)	0.27	0.27
उत्कल एल्युमिना इंडिया लिमिटेड	3.74	1.32
भारतीय स्टेट बैंक फाउंडेशन	4.05	1.6
केयरिंग फ्रेंड्स	1.5	0
कुल (बी)	76.15	47.19
सी. ग्रांट पार्टनर्स द्वारा सह-वित्त (बीआरएलएफ परियोजना के लिए भागीदारों की पुस्तकों में व्यय)	238.02	355.50
कुल (सी)	238.02	355.50
कुल (ए+बी+सी)	334.13	422.65



Government Partners



ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार
MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA



जनजातीय कार्य मंत्रालय
MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS



BTC GOV
बि टि सि सरकार



Government of Maharashtra



नेशनल
ईकि



Donors



AXIS BANK FOUNDATION



Ford Foundation



Hindustan Unilever Limited



SBI card

SBI FOUNDATION
Service Beyond Banking

TATA TRUSTS



प्रशासन व्यवस्था

बीआरएलएफ की कार्यकारी समिति (ईसी) और आम सभा (जीबी) में केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, शिक्षा जगत के लोग, नागरिक समाज और कॉर्पोरेट क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति, वित्तीय संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और परोपकारी फाउंडेशन, सामाजिक-आर्थिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समूह, खासकर कि मध्य भारत के आदिवासियों के मुद्दों के प्रति अनुभव, समझ और प्रतिबद्धता के साथ शामिल हैं।

बीआरएलएफ ने नियमों और विनियमों के अनुसार सभी अनिवार्य जीबी और ईसी बैठकों का आयोजन किया है। अपनी स्थापना के बाद से, बीआरएलएफ ने 16 आम सभा की बैठक और 25 कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित की हैं। शासन में सहायता के लिए, बीआरएलएफ बोर्ड ने विभिन्न समितियों की स्थापना की, जिसमें वित्त और लेखा परीक्षा समिति, विमुक्त जनजातियों और घुमंतू जनजातियों पर समिति (डीएनटी-एनटी), और मानव संसाधन समिति शामिल हैं। 2019-20 में, दो नई समितियाँ स्थापित की गई थी, जिनमें क्षमता निर्माण के लिए एक सलाहकार समिति और एक अनुसंधान सलाहकार समूह शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में, बीआरएलएफ ने तीन आम सभा की बैठक और तीन कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित की थी।

पारदर्शिता और जवाबदेही

वित्तीय प्रणालियाँ, नियंत्रण, लेखापरीक्षा और कार्य में पारदर्शिता

बीआरएलएफ नियमों और विनियमों (आर एंड आर) द्वारा शासित होता है, जो वित्त और लेखा परीक्षा समिति (एफएसी) के रणनीतिक मार्गदर्शन और निर्देश के साथ सुचारु वित्तीय संचालन के लिए सिद्धांत निर्धारित करता है। बीआरएलएफ की कार्यकारी समिति और आम सभा वार्षिक कार्य योजना और बजट अनुमान (बीई) को मंजूरी देती है। इसी प्रकार, कार्यकारी समिति वित्तीय वर्ष के मध्य में संशोधित अनुमान (आरई) को मंजूरी देती है। बीआरएलएफ के वित्त एवं लेखा कार्य में चार पूर्णकालिक टीम सदस्य और एक वित्तीय सलाहकार शामिल हैं। वित्त एवं लेखापरीक्षा समिति वित्त एवं लेखा कार्य की समीक्षा और देखरेख करती है।

अनुदान प्रबंधन एमआईएस (MIS) और मानव संसाधन एवं प्रशासन के लिए ऑनलाइन ऐप


वित्तीय अनुदान प्रबंधन एमआईएस पोर्टल पर किया जाता है। एमआईएस पर वित्तीय अनुदान प्रबंधन में बजट, संशोधित बजट, सीएसओ से वित्तीय रिपोर्टिंग, फंड अनुरोध और अनुदान समझौते की शर्तों के अनुसार रिलीज शामिल है। सीएसओ द्वारा प्रस्तुत करने के बाद, ये उप-मॉड्यूल वित्त विभाग सहित परियोजना प्रभारी से सीईओ तक अनुमोदन मैट्रिक्स के माध्यम से चलाए जाते हैं। त्रैमासिक वित्तीय रिपोर्ट गेटवे सहायक दस्तावेज संलग्न कर सकता है, उदाहरण के लिए, ट्रायल बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट, ऑडिटेड रिपोर्ट इत्यादि। यदि आवश्यक हो तो एमआईएस रिपोर्टिंग प्रत्येक परियोजना के वित्तीय डैशबोर्ड के माध्यम से निकाली जा सकती है।

संगठनात्मक संरचना:

बीआरएलएफ के सीईओ के रूप में प्रमथेश अम्बष्ट का कार्यकाल 1 जनवरी, 2023 को समाप्त हो गया था।

– अप्रैल 2023 से परिवर्तित की गई संगठनात्मक संरचना लागू की जाएगी।

आम सभा 60 सदस्य (केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के प्रतिनिधि, प्रतिष्ठित व्यक्ति, परोपकारी जन, वित्तीय संस्थान, शैक्षणिक संस्थान)



वित्त एवं लेखा

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लेखापरीक्षित खाते:

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बीआरएलएफ की कुल आय ₹27.93 करोड़ है, जिसमें ब्याज और अन्य आय के ₹18.66 करोड़ और दाता अनुदान से ₹9.27 करोड़ शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कुल व्यय ₹30.39 करोड़ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है। सीएसओ भागीदारों को अनुदान और आंशिक रूप से प्रत्यक्ष कार्यान्वयन से संबंधित कार्यक्रम व्यय प्रमुख व्यय मद बना रहा, जो वर्ष के दौरान कुल व्यय का लगभग चार-पाँचवां हिस्सा था। वित्तीय वर्ष के दौरान आय से अधिक व्यय ₹2.46 करोड़ रहा।



वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान:

प्रतिबद्ध ब्याज आय और अनुदान सहित कुल आय का अनुमान ₹41.37 करोड़ है, जबकि संसाधन जुटाने के माध्यम से नए संसाधनों का अनुमान ₹7.57 करोड़ है, जिसमें बीआरएलएफ की मौजूदा अनुदान देयता के प्रतिस्थापन के लिए ₹0.75 करोड़ और नई परियोजनाओं के लिए ₹6.82 करोड़ शामिल हैं। प्रतिबद्ध व्यय अनुमान ₹48.46 करोड़ है, जिसके परिणामस्वरूप चल रही परियोजनाओं के तहत अनुदान देयता को प्रतिस्थापित करने के लिए नए संसाधन प्राप्त करने पर विचार करने के बाद ₹7.09 करोड़ की आय पर अतिरिक्त व्यय हुआ। आय से अधिक व्यय की पूर्ति पिछले वर्षों के उपलब्ध अधिशेष से की जायेगी।

लेखा परीक्षा

ए. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C&AG) ऑडिटर वित्तीय वर्ष 2017-18 तक BRLF के खातों का ऑडिट C&AG द्वारा किया गया है और अनुपालन अद्यतन पिछले वर्षों से संबंधित पैरा के लिए है।

बी. बीआरएलएफ का आंतरिक ऑडिट: वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बीआरएलएफ का आंतरिक ऑडिट आंतरिक लेखा परीक्षक मेसर्स द्वारा पूरा कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बीआरएलएफ का आंतरिक ऑडिट आंतरिक लेखा परीक्षक मेसर्स बंसल एंड सीओ एलएलपी द्वारा पूरा कर लिया गया है। रिपोर्ट में कोई प्रणालीगत जोखिम नहीं होने का संकेत दिया गया है और प्रक्रिया में सुधार की ओर इशारा किया गया है जिस पर कार्रवाई शुरू की गई है।

सी. अनुदान और तकनीकी भागीदारों का वित्तीय ऑडिट: बीआरएलएफ के अनुदान प्राप्त लेखा परीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अनुदान भागीदारों के तीन-चौथाई का ऑनसाइट और ऑफसाइट ऑडिट किया है। ऑडिट रिपोर्ट भागीदारों के साथ साझा की गई हैं और आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।

वैधानिक अनुपालन

- बीआरएलएफ का आयकर मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 2021-22 तक पूरा हो गया है और कोई कार्रवाई/कार्यवाही लंबित नहीं है।
- भूमि कानूनों के अनुपालन में आवश्यक वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सभी वार्षिक वैधानिक दाखिल-खारिज पूरे हो गए हैं। सभी नियमित विनियामक फाइलिंग भी अद्यतित हैं। 31 मार्च, 2023 तक कोई भी प्रतिकूल/दंडात्मक कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं की गई है।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर विभाग द्वारा ब्याज आय पर टीडीएस न काटने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 197 के तहत छूट जारी की गई है।।

बीआरएलएफ के कोष/एंडोवमेंट निधि का परिनियोजन

बीआरएलएफ की वित्त और लेखा परीक्षा समिति के मार्गदर्शन में कॉर्पस प्रबंधन नीति के अनुसार विभिन्न अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ सावधि जमा में बीआरएलएफ के कुल 230 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। यह निधि 7% से 8.5% प्रति वर्ष के बीच निवेश पर मुनाफा आरओआई अर्जित करते हैं जो मध्यम से लंबी अवधि की परिपक्वता अवधि में दिए गए मौजूदा ब्याज दरों के साथ अनुकूल रूप से तुलना करता है।

बीआरएलएफ की वित्त एवं लेखा परीक्षा समिति (एफएसी) की बैठक

बीआरएलएफ के वित्त, बजट और संशोधित अनुमान, ऑडिट और वैधानिक अनुपालन स्थिति की सलाह और समीक्षा करने के लिए बीआरएलएफ की एफएसी की तीन बैठकें 11 अगस्त, 2022, 8 दिसंबर, 2022 और 20 मार्च, 2023 को आयोजित की गईं। लेखापरीक्षित खातों, बजट, संशोधित अनुमान, कॉर्पस परिनियोजन इत्यादि पर एफएसी की सलाह और मार्गदर्शन वर्ष के दौरान समय-समय पर लिया जाता है और एफएसी द्वारा प्रदान किए गए मार्गदर्शन और निर्देश के आधार पर कार्रवाई की जाती है।

भागीदारों को अनुदान के वित्तीय प्रबंधन और अनुदान भागीदारों के ऑडिट के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल।

सभी नए अनुदान भागीदारों के लिए ऑनलाइन अनुदान प्राप्तकर्ता ऑडिट मॉड्यूल सफलतापूर्वक शुरू कर दिया गया है, वित्त वर्ष 2022-23 से अनुदान रिपोर्टिंग ऑनलाइन की जा रही है।

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण

THAKUR, VAIDYANATH AIYAR & CO.
Chartered Accountants
New Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai,
Patna and Chandigarh

221-223, Deen Dayal Marg, New Delhi-110002
Phones : 91-11-23236958-60, 23237772
Fax : 91-11-23230831
E-mail : tvandeca@gmail.com

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

TO,
THE MEMBERS OF
BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION (BRLF),

REPORT ON THE AUDIT OF THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR
ENDED ON 31st MARCH, 2023

1. Opinion

We have audited the accompanying Financial Statements of **BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION (BRLF or "the Society")** which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2023, the statement of Income and Expenditure and Receipt and Payment Account for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information which we have signed under reference to this report.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements, read with other notes given thereto, give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

- In the case of Balance Sheet, of the state of affairs of the Society as at 31st March 2023;
- In the case of Statement of Income and Expenditure, of the deficit for the year ended on 31st March 2023;
- In the case of Receipt and Payment account, of cash flows for the year ended on 31st March 2023.

2. Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Accounting (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountant of India. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Society in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountant of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Financial Statements under the provisions of the Act and the Rules there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.



3. Responsibility of Management for the Financial Statements

The Management of BRLF is responsible for the preparation of these Financial Statements that give a true and fair view of the financial position and expenditure of the Society in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including Accounting Standards, to the extent applicable, prescribed by the Institute of Chartered Accountants of India.

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records for safeguarding of the assets of the Society and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Financial Statements, management of BRLF is responsible for assessing the ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the entity or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. The Management is responsible for overseeing the Society's financial reporting process.

4. Auditor's Responsibility for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- identify and assess the risks of material misstatement of the Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a



material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Society's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Society to cease to continue as a going concern.

- evaluate the overall presentation, structure and content of the Financial Statements, including the disclosures, and whether the Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.


We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

5. Report on Other Legal and Regulatory Requirements

- We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
- In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Society so far as it appears from our examination of those books;
- The Balance Sheet, Statement of Income and Expenditure and Receipts & Payment Account for the year ended 31st March 2023, dealt with by this Report are in agreement with the books of account;
- In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards, to the extent applicable, issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For **Thakur, Vaidyanath Aiyar & Co.**

Chartered Accountants
FRN: 000038N



(Anil Kumar Aggarwal)

Partner

M. No. 087424

UDIN: 230874248GGZTSH4133

Place: New Delhi

Date: August 25, 2023



BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION (BRLF)				
Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001				
<u>BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2023</u>				
(Amount in Rs.)				
PARTICULARS	Schedule	No	As at 31st March, 2023	As at 31st March, 2022
CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES				
Corpus Fund	A		2,000,000,000	2,000,000,000
Endowment Fund	B		215,792,906	213,504,972
Grant Unspent Balance	C		43,577,901	47,052,016
Fixed Assets Fund	D		494,725	261,658
Reserve And Surplus	E		170,507,101	200,385,362
Current Liabilities And Provisions	F		9,355,676	12,670,717
Total			2,439,728,308	2,473,874,725
ASSETS				
Fixed Assets out of Corpus/Endowment Fund	G-I		3,659,696	3,662,694
Fixed Assets-Out of Grants	G-II		494,725	261,658
Investments of Corpus Fund	H		2,090,560,000	2,110,560,000
Investment of Endowment Fund	I		213,872,835	211,617,835
Other Non Current Assets	J		660,650	825,850
Current Assets:				
Grant Receivable	C		305,055	15,951,937
Cash And Bank Balance	K		66,715,033	59,087,333
Other Current Assets	L		63,460,314	71,907,418
TOTAL			2,439,728,308	2,473,874,725
Significant Accounting Policies	P			
Contingent Liabilities & Notes to Accounts	Q			
As per our report of even dated attached				
				
For Thakur, Vaidyanath Aiyar & Co		For Bharat Rural Livelihoods Foundation		
Chartered Accountants				
FRN : 000038N				
				
Anil Kumar Aggarwal Partner	Ajay Dandekar President	Kuldip Singh Chief Executive Officer	Sushil Pal Manager - Finance & Account	
M. No. 087424				
Place: New Delhi				
Date: 25/08/2023				



BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION			
Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001			
STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2023			
(Amount in Rs.)			
PARTICULARS	Schedule No	Current Year 2022-23	Previous Year 2021-22
(A) INCOME			
Grant Income to the extent utilised	C	92,724,080	86,608,558
Other Income	M	186,600,048	189,745,937
TOTAL(A)		279,324,128	276,354,495
(B) EXPENDITURE			
Grant Expenditure to the Extent Utilised			
Program Expenses incurred through CSOs	} C	66,970,331	76,953,846
Program Expenses incurred by BRLF		19,940,446	-
Establishment Expenses		2,319,247	7,693,056
Other Administration expenses		3,126,900	1,961,656
Fixed Asset Procured		367,156	-
		92,724,080	86,608,558
Expenditure-Ford Endowment	N	3,104,863	3,204,663
Expenditure Borne by BRLF		-	3,189,814
Expenditure from MoRD	O	206,591,005	171,180,539
Depreciation	G-I	1,487,402	1,297,147
TOTAL(B)		303,907,350	265,480,721
SURPLUS /(DEFICIT) DURING THE YEAR(A-B)		(24,583,222)	10,873,774
Significant Accounting Policies	P		
Contingent Liabilities & Notes to Accounts	Q		
As per our report of even dated attached			
For Thakur, Vaidyanath Aiyar & Co		For Bharat Rural Livelihoods Foundation	
Chartered Accountants			
FRN : 000038N			
			
Anil Kumar Aggarwal Partner M. No. 087424 Place: New Delhi Date: 25/08/2023	Ajay Dandekar President	Kuldip Singh Chief Executive Officer	Sushil Pal Manager - Finance & Accounts



Bharat Rural Livelihoods Foundation (BRLF)
 Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001

Schedule C-Earmarked Grants/ Donation Receipts, Utilized during the year and balances as on 31st March, 2023

PARTICULARS	App-I	Un-Spent Balances/ (Receivables) as on 01.04.2022	Adjustment of Grant balance (Refer note no.1 (d)(i) of Schedule - Q)	RECEIPT/TRF. DURING THE YEAR			EXPENDITURE DURING THE YEAR				Overhead Recovery/ Gain/ Loss on currency conversion etc. To Reserve & Surplus	Un-Spent Balances/ (Receivables) as on 31.03.2023	
				Grant Received during the year	Interest Accrued	Amount Available for Utilisation	Program	Establishment	Admin	Non-Recurring			Total
		1	2	3	4	5=1+2+3+4	6	7	8	9	10=6 to 8	11	12=5-10-11
(A) FOREIGN GRANTS:-													
Hindustan Unilever Foundation	1	34,028,385	-	-	1,954,732	35,983,117	2,074,759	-	576,624	-	2,651,383	-	33,331,734
Ford Foundation-Odisha & JH Project	2	(5,295,039)	5,295,039	5,913,903	-	5,913,903	4,449,189	-	84,483	367,156	4,900,828	1,013,075	1,013,075
Ford Foundation-Watershed (CG) Project	3	3,471,459	-	12,344,521	-	15,815,980	12,225,549	-	2,427,797	-	14,653,346	1,162,634	0
European Union-Strengthening CSOs	4	(8,712,477)	-	8,712,477	-	8,712,477	-	-	-	-	-	-	-
Total (A)		23,492,328	5,295,039	26,970,901	1,954,732	57,713,000	18,749,497	-	3,088,904	367,156	22,205,557	1,162,634	34,344,809
Grant Unspent Balance		37,499,844	-	-	-	37,499,844	-	-	-	-	-	-	34,344,809
Grant Receivable		(14,007,516)	-	-	-	(14,007,516)	-	-	-	-	-	-	(-)
Previous Figure (2021-22) (A)		54,239,499	-	7,766,246	1,765,214	63,772,959	30,957,164	4,503,122	1,690,902	-	37,151,188	3,129,443	23,492,328
Grant Unspent Balance		59,534,638	-	-	-	59,534,638	-	-	-	-	-	-	37,499,844
Grant Receivable		(5,295,039)	-	-	-	(5,295,039)	-	-	-	-	-	-	(14,007,516)



BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION (BRLF)
 Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2023

SCHEDULE D - Fixed Assets Fund

PARTICULARS	As at 31st March 2023		As at 31st March 2022	
United Nations Development Programme				
Opening Balance	204,404	-	232,452	-
Received during the year	-	-	-	-
Less: Amortised over the useful life of Assets purchased	(24,000)	180,385	(28,048)	204,404
European Union				
Opening Balance	57,254	-	95,434	-
Received during the year	-	-	-	-
Less: Amortised over the useful life of Assets purchased	(22,902)	34,352	(38,170)	57,254
Ford Foundation JH				
Opening Balance	367,156	-	-	-
Addition during the year	87,168	279,988	-	-
Less: Amortised over the useful life of Assets purchased	-	-	-	-
Total		484,735		263,656

SCHEDULE E - Reserve And Surplus

PARTICULARS	As at 31st March 2023		As at 31st March 2022	
Surplus				
Opening Balance	200,385,362	-	232,758,188	-
Less: Unspent Balance net of Receivable of Grant recognised as Income in Previous Year(s) (Refer Note No. 1 (f) of Schedule - Q)	-	-	(43,246,600)	-
Net: Receivable Adjustment due to non recoverable from Donor (Refer Note No. 1 (f)(ii) of Schedule - Q)	(5,295,039)	-	-	-
Less: Surplus/(Deficit) transferred from Statement of Income over Expenditure for the year	(34,588,222)	189,511,584	-	-
Closing Balance	170,502,101		200,385,362	

SCHEDULE F - Current Liabilities And Provisions

PARTICULARS	As at 31st March 2023		As at 31st March 2022	
Amount Payable to Project Partners				
ITDS Payable	2,851,662	-	579,018	-
Trade Payable	1,632,457	-	1,017,933	-
undry Creditors	567,652	-	199,629	-
PF Payable	295,586	-	378,127	-
Expenses Payable	44,440	-	792,309	-
Bank Credit Card Balance-Year Bank	-	-	83,442	-
Provision for Employee Benefits				
- Encashment of Leave	1,322,883	-	3,724,715	-
- Gratuity	3,241,136	4,554,079	5,895,344	9,620,259
Total	9,355,676		12,670,717	



BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION (BRLF)
 Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2023

Schedule G - Fixed Assets out of Corpus/Endowment Fund

Particulars	Rate	WDV as on 01.04.2022	Addition		Deduction	Total	Depreciation for the Year	WDV as on 31.03.2023
			More than 180 Days	Less than 180 Days				
FIXED ASSETS-MoRD-Schedule G-(a)								
TANGIBLE								
Computer Hardware	40%	1,482,547	633,887	480,147	-	2,596,581	942,609	1,653,972
Office Equipment	15%	474,979	-	-	-	474,979	71,246	403,733
Furniture & Fixtures	10%	251,381	35,431	181,087	-	467,900	42,007	425,893
Sub Total		2,208,907	669,318	661,234	-	3,539,459	1,055,862	2,483,597
INTANGIBLE								
Computer Software	33.33%	1,034,811	165,200	-	-	1,200,011	394,137	805,874
Sub Total		1,034,811	165,200	-	-	1,200,011	394,137	640,674
Total		3,243,718	834,518	661,234	-	4,739,481	1,450,000	3,124,715
Previous Year		2,929,906	255,142	1,565,034	-	4,750,082	1,258,614	3,491,468
FIXED ASSETS-TATA Trust Endowment Fund Schedule G-(b)								
TANGIBLE								
Computer Hardware	40%	6,793	-	-	-	6,793	2,717	4,076
Office Equipment	15%	31,212	-	-	-	31,212	4,642	26,570
Furniture & Fixtures	10%	180,097	-	-	-	180,097	17,608	162,489
Previous Year		218,102	-	-	-	218,102	25,967	192,135
FIXED ASSETS-CPIL- Schedule G-(c)								
TANGIBLE								
Computer Hardware	40%	26,020	-	-	2,132	28,152	9,551	18,601
Total		26,020	-	-	2,132	28,152	9,551	18,601
Previous Year		43,383	-	-	-	43,383	17,353	26,030
GRAND TOTAL		3,662,891	834,518	661,234	2,132	5,147,798	1,487,402	3,660,396
PREVIOUS YEAR		3,148,907	255,142	1,565,034	-	4,969,083	1,297,187	3,671,896

Schedule G-II-Fixed Assets- Out of Grant

Particulars	Rate	WDV as on 01.04.2022	Addition		Deduction	Total	Depreciation for the Year	WDV as on 31.03.2023
			More than 180 Days	Less than 180 Days				
UNDP Grant-Schedule G-II (a)								
TANGIBLE								
Computer Hardware	40%	4,025	-	-	-	4,025	1,610	2,415
Office Equipment	15%	47,427	-	-	-	47,427	7,114	40,313
Furniture & Fixtures	10%	153,951	-	-	-	153,951	15,395	138,556
Total		205,403	-	-	-	205,404	24,079	181,325
Previous Year		212,452	-	-	-	212,452	26,081	186,371
FIXED ASSETS-European Union Grant-Schedule G-II(b)								
TANGIBLE								
Computer Hardware	40%	-	-	-	-	-	-	-
Office Equipment	15%	57,254	-	-	-	57,254	22,902	34,352
Furniture & Fixtures	10%	-	-	-	-	-	-	-
Total		57,254	-	-	-	57,254	22,902	34,352
Previous Year		95,434	-	-	-	95,434	38,170	57,264
FIXED ASSETS-Ford Foundation JH Grant-Schedule G-II(c)								
TANGIBLE								
Office Equipment	15%	13,078	38,833	-	-	51,911	8,124	43,787
Furniture & Fixtures	10%	84,308	22,440	-	-	106,748	9,531	97,217
Computer Hardware	40%	344,857	4,892	-	-	349,749	46,911	302,838
Total		442,243	66,165	-	-	508,408	64,566	443,842
Previous Year		-	-	-	-	-	-	-
GRAND TOTAL G-II(a)+G-II(b)+G-II(c)		263,058	101,043	66,113	-	430,214	114,089	316,125
PREVIOUS YEAR		312,876	-	-	-	312,876	64,218	248,658



BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION (BRLF)
 Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2023

SCHEDULE H - Investments of Corpus Fund

PARTICULARS	(Amount -Rs.)	
	As at 31st March 2022	As at 31st March 2023
Investments in FDR with Deutsche Bank		
Corpus Fund received from Ministry of Rural Development, Government of India	2,000,000,000	2,000,000,000
Investments in FDR with Yes Bank		
Invested out of interest on above	90,560,000	110,560,000
Total	2,090,560,000	2,110,560,000

SCHEDULE I - Investments of Endowment Fund

PARTICULARS	(Amount -Rs.)	
	As at 31st March 2022	As at 31st March 2023
Investments in FDR with Deutsche Bank		
Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships	100,000,000	100,000,000
Invested out of interest on above	3,760,000	3,760,000
Investments in FDR with Yes Bank		
Invested out of interest on TATA Trust Endowment Fund	6,487,000	5,129,000
Investments in FDR with Deutsche Bank		
Ford Foundation Endowment fund for Institutional Development and Partnerships	100,000,000	100,000,000
Investments in FDR with Yes Bank (FCRA Funds)		
Invested out of interest on Ford Foundation Endowment Fund	3,625,835	2,728,835
Total	213,872,835	211,617,835

SCHEDULE J - Other Non Current Assets

PARTICULARS	(Amount -Rs.)	
	As at 31st March 2022	As at 31st March 2023
Capital Advances (Work in Progress) - Portal	825,850	825,850
Less: Tilt to Fixed Assets	185,200	-
Total	640,650	825,850



[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten initials]

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION (BRLF)
 Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2023

SCHEDULE K - Cash And Bank Balances

PARTICULARS	(Amount -Rs.)	
	As at 31st March 2022	As at 31st March 2023
Cash in Hand		
Bank Balances in Savings Accounts		
With YES Bank Chanakypur, New Delhi Branch:		
Account No. 000393900000039 (FCRA - FORD Foundation)	9,557,312	53,866
Account No. 000394600001690 (FCRA European Union)	2,149,649	41,514
Account No. 00039390000001024 (FCRA HUF)	33,788,624	33,964,153
Account No. 0003946000000384	7,788,704	12,274,535
Account No. 0003946000000391	23,964	23,029
Account No. 0003946000001349	60,932	57,989
Account No. 0003946000000413	5,285,281	3,256,961
Total	58,515,436	48,543,028
With SBI, South East Branch Account No.40637029564	3,794,263	5,938,513
With RBI Bank, New Delhi Branch Account No. 309003418585	3,982,162	2,747,532
With State Bank of India, New Delhi Account No.40031893294 (Designated FCRA Account)	160,214	92,120
With Axis Bank, New Delhi Branch Account No. 919010085960185	262,957	1,767,140
Total	66,715,093	59,087,333

SCHEDULE L - Other Current Assets

PARTICULARS	(Amount -Rs.)	
	As at 31st March 2022	As at 31st March 2023
Grant to Project Partners - Unutilised Balance	12,915,812	15,925,482
Interest Accrued on Fixed Deposits (INR)		
- Corpus Fund received from Ministry of Rural Development, GOI	42,645,814	42,767,561
- Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships	793,901	785,806
Interest Accrued on Fixed Deposits (FC)	43,439,715	43,553,367
- Ford Foundation Endowment fund	2,160,146	2,115,388
Total	63,460,314	71,907,413
Advance Recoverable	110,039	12,779
Advances to Employees-Salary	170,000	41,212
Prepaid Expenses	238,715	93,355
Advance to Supplier	-	144,534
LC Group Gratuity Scheme Fund Balance (Refer Schedule Q, Note k-i)	3,187,034	6,026,237
LC Group Leave Scheme Fund Balance (Refer Schedule Q, Note k-i)	819,948	2,724,209
Security Deposit (Rent)	226,000	200,000
Tax Deducted at Source (2022-23)	146,078	-
Tax Deducted at Source (2017-18)	37,828	37,828
Tax Deducted at Source (2020-21)	-	3,790
Tax Deducted at Source (2021-22)	-	1,067,299
Total	63,460,314	71,907,413



[Handwritten signatures and initials]

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION (BRLF)
 Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001
SCHEDULES FORMING PART OF STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

SCHEDULE M - Other Income

PARTICULARS	(Amount -Rs.)	
	Current Year 2022-23	Previous Year 2021-22
Saving Bank Interest	4,924,344	5,395,635
Less:		
- Allocated to FCRA Grant Fund	1,954,732	1,766,214
- Allocated to Local Grant Fund	687,284	683,565
- 10% reinvested to Ford Foundation Endowment Fund	43,304	24,909
- Transfer to Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships (Schedule - B)	241,748	341,087
Interest Earned on Fixed Deposits with Banks	1,997,276	2,780,860
- Corpus Fund received from Ministry of Rural Development, Government of India	173,732,839	174,968,121
- Ford Foundation Endowment Fund	8,902,528	8,809,357
- Hindustan Unilever Foundation	8,732,190	8,663,374
Total	191,345,537	192,440,863
Less: 10% reinvested to Ford Endowment Fund	865,222	871,612
Less: Transfer to Tata Trusts Endowment Fund for Institutional Development and Partnerships (Schedule - B)	8,902,528	8,809,357
Interest earned by the Grant Partners - CSOs	733,715	796,090
Exchange Gain on Ford Foundation Grant	3,811	1,162,634
Gratuity Provision no longer required Reversed (Refer Note No. i of Schedule-P)	1,066,998	3,129,443
Overhead Cost Recovery - EU	-	75,161
Interest on Income Tax Refund	59,133	202,300
Income from Workshops	506	-
Miscellaneous Income	-	-
Total	186,600,048	189,745,937

SCHEDULE N - Expenses incurred from FORD Endowment

PARTICULARS	(Amount -Rs.)	
	Current Year 2022-23	Previous Year 2021-22
Program Expenses	1,983,591	2,394,839
Employer Contribution to Provident Fund	547,276	336,569
Earned Leave expenses	137,687	72,370
Other Administration Cost	412,809	410,257
Human Resource cost	3,811	428
Office Maintenance Expenses	11,800	-
Consultancy Service	8,389	436,309
Bank charges	-	-
Total	3,104,863	3,204,663



[Handwritten signatures and initials]

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION (BRLF)
 Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001
SCHEDULES FORMING PART OF STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

SCHEDULE O - Expenses from MORD

PARTICULARS	(Amount -Rs.)	
	Current Year 2022-23	Previous Year 2021-22
MORD Program Cost		
Covid 19 Relief Support to CSOs	5,846,382	5,472,230
Field Implementation Support to CSO CFP Partners	8,566,600	8,944,367
Capacity Building Expense	49,714,853	36,402,687
Field Facilitation Support to WB Watershed Partners	69,24,421	50,585,012
Field Implementation Support to OGDRA A/C Project Partners	519,558	708,389
Field Implementation Support to UASL Project Partners	-	5,606,709
Field Facilitation Support to Institutional partners for Implementing Partners	2,641,361	10,595,521
Field Facilitation Support to CW Watershed Partners	9,270,426	18,094,726
Field Implementation Support to MH Livelihood Partners	13,169,832	5,483,938
Field Implementation Support to TN OIP Partners	3,493,458	155,923
Event, Meetings and Workshop Expenses	3,457,735	1,518,489
Travel Expenses	4,666,344	2,410,427
Consultancy & Evaluation Fees	1,428,468	2,024,499
Information, Education and Communication Material	522,275	533,911
Pilot & Innovations-NT & NT Initiatives	487,166	399,264
PR, Media & Social Media Management etc	1,639,411	1,316,930
Resource Mobilization expenses	326,538	48,000
Boatland Project Expenses	337,018	-
Total	179,374,390	149,301,270
MORD Establishment Cost		
Staff Salaries	17,346,076	12,137,367
Employer Contribution to Provident Fund	2,365,374	1,653,096
Earned Leave expenses (refer note no. i of Schedule -Q)	(225,421)	1,858,016
Gratuity Expenses (refer note no. i of Schedule -Q)	184,856	2,561,447
Recruitment expenses	2,489,993	581,551
PF Admin Charges	110,916	101,986
Staff welfare expenses	265,420	136,485
Indication expenses	62,196	36,825
Medical & Accidental Insurance Expenses	173,701	237,502
Consultancy Fees for HR Study	118,000	-
Consultancy Fees for PF calculation	42,480	35,400
Total	22,933,591	19,339,675
MORD Other Administration Cost		
Office Rent	1,991,568	2,110,477
Audit Fees	191,750	174,050
Communication Expenses	416,381	451,569
Stationery expenses	255,212	142,091
Water & Electricity expenses	280,706	162,002
Office Maintenance Expenses	541,453	139,723
Equipment Maintenance Expenses	109,481	117,574
Postage & courier	39,269	56,172
Miscellaneous Expenses	77,339	36,553
Books, Periodicals & Publications	14,295	36,786
Hindi Language Promotion	59,000	-
Consultancy/Internship Fee	280,147	12,147
Insurance of Fixed assets	20,422	-
Total	4,283,023	2,539,144
Total	206,591,005	171,180,539




[Handwritten signatures and initials]

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION
 Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001
 Schedule Forming Part of Financials as at 31st March, 2023

SCHEDULE-P

1. Legal Status and Operation:

- 1.1. Bharat Rural Livelihoods Foundation (BRLF) has been promoted by Ministry of Rural Development, Government of India as an autonomous charitable society registered under the Society Registration Act, 1860 having registration no. S/ND/351/2013 dated 10th December, 2013. PAN Number of BRLF is AACAB2971N.
- 1.2. The Society is registered as a tax exempted charity u/s 17A (Unique Registration No.- AACAB2971NI20188 dated 24.09.2021) and obtained approval u/s 80(G)(5) (Unique Registration No:- AACAB2971NI20210 dated 24.09.2021) of the Income Tax Act, 1961 for a period of 5 years.
- 1.3. The Society is also registered u/s 11(1) of Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 and rules framed therein (Registration No:- 231661787 Dt 08/05/2018) valid for 5 years till 08.05.2023. The renewal application dated 20.02.2023 was filed with MHA - FCRA Wing and renewal of Registration Certificate is awaited. However, General Public Notice dated 24th March 2023 issued by MHA regarding the validity of those FCRA entities whose 5 years validity period is expiring during 01.04.2023 to 30.09.2023 and who have applied/will apply for renewal before expiry of 5 years validity period, will stand extended upto 30.09.2023 or till the date of disposal of renewal application, whichever is earlier.
- 1.4. The Society has also obtained CSR registration from MCA with registration number as CSR00001509.
- 1.5. Envisaged as supporting CSO projects focused on tribals, especially women's empowerment and livelihoods, BRLF's mission is to facilitate and upscale civil society action in partnership with Government for transforming livelihoods and lives of rural households, with an emphasis on women all over India. Concentrating in the Central Indian Tribal Region in the initial years of its functioning covering ten states of Odisha, Jharkhand, West Bengal, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Telangana and Gujarat. its long term goals *inter alia* are providing grants to civil society organisations (CSOs) to meet their human resource and institutional costs for up-scaling proven interventions, invest in institutional strengthening of smaller CSOs and capacity building and development of professional human resources working at the grassroots.
- 1.6. Upto the financial year 2020-21, the aim of BRLF was to provide grants to civil society organisation (CSOs) to meet their human resource and institutional costs for up-scaling proven interventions, invest in institutional strengthening of smaller CSOs and capacity building and development of professional human resources working at the grassroots. After the Amendment of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010, BRLF has decided to also promote the objectives through self-implementation of projects. It has decided to also promote the objectives through self-implementation of projects.



2. Corpus Fund:

A Memorandum of Understanding (MoU) between Ministry of Rural Development, Government of India and Bharat Rural Livelihoods Foundation (BRLF) dated 13th January 2014 has been entered into to provide grants upto Rs. 500 crores for creating corpus, in two tranches subject to conditions laid down in the MoU. During the year 2013-14 the Government of India released Rs. 200 crore as first tranche of corpus fund on 5th March 2014 and the second tranche of Rs. 300 crores is to be released after two years on fulfillment of conditions prescribed in the MOU. In accordance with Grant conditions in MoU, no expenditure can be met from the corpus fund received from Government of India; however, the income arising out of the corpus can be utilized to fulfill the objectives of the society. MoU also mandates review of BRLF and its programmes' impact assessment by the Government after five years and may take back the grant and may advise dissolution of BRLF in case the outcomes are not forthcoming as projected.

3. Summary of Significant Accounting policies:

3.1 Basis of preparation

The Society is maintaining its books of accounts on Historical Cost Convention Basis following the general accepted accounting principles prevalent in India (IGAAP) and accrual basis of accounting unless otherwise stated.

3.2 Use of Estimates

The preparation of financial statements requires estimates and assumptions to be made, that affect the reported amount of assets and liabilities on the date of financial statements and the reported amount of revenues and expenses during the reporting period. Difference between the actual results and estimates are recognized in the period in which the results are known or materialized.

3.3 Grant in Aid

Treatment of Grant in Aid has been made in the accounts as given below:

- i. Upto the financial year 2020-21, Grant amounts are recognized as income in the year of receipt. Unutilized grant amounts and grant amount receivable at the end of the financial year were not carried over to the next year. With effect from the financial year 2021-22, earmarked Grants are recognised as Income on "Actual Utilisation Basis" and the remaining grant balances are carried forward for utilisation as liability in respect of Programs to be carried out/ conducted in subsequent year(s).
- ii. Grants in the nature of Corpus are treated as Corpus Fund and only the income arising out of Corpus fund investments shall be utilized to fulfil the overall objectives of BRLF.



iii. Grants received for specific purposes are utilized for those purpose(s) only.

- iv. Upto the financial year 2019-20, assets purchased out of grant amounts were treated as deferred income which is recognized in the profit and loss statement on a systematic and rational basis over the useful life of the assets. Such allocation may be in the proportion in which depreciation on related assets is charged. However, with effect from Financial Year 2020-21, fixed assets acquired through Project Grants during the year are charged off to Statement of Income & Expenditure. However, for exercising financial and quantitative control over these assets, they are shown in the Balance Sheet under 'Fixed Assets' at their depreciated value with a corresponding amount in the Asset Fund.
- v. Overhead expenses charged to the project grants as per the respective grant agreements/ budgets are treated as Income of the Society.
- vi. In view of FCRA amendments w.e.f. 29th September 2020, no amount of fund disburse to any CSO's for implementation of the FCRA project.

3.4 Interest Income Recognition

Interest on Deposits have been recognised on accrual basis and Interest of Savings Bank Account are recognised on Cash Basis. Interest earned on donor's fund has been treated as per the terms of MoU's with them.

3.5 Workshop Income

Income Earned on Workshops is recognised on cash basis.

3.6 Fixed Assets

A. Tangible Assets

Tangible Assets are stated at cost of acquisition less depreciation and impairment losses (if any). The cost of tangible assets includes inward freight, duties & taxes (non-refundable) and incidental & direct expenditure related to acquisition.

B. Intangible Assets

Intangible Assets are stated at cost of acquisition less depreciation and impairment (if any). The Cost of intangible assets includes duties & taxes and incidental & direct expenditure related to acquisition.

3.7 Depreciation

- i. Depreciation has been provided on written down value method as per the rate specified in Income Tax Act, 1961. Depreciation on assets purchased and put to use for less than 180 days in a year charged at the half rate of depreciation specified in Income Tax Act.
- ii. Upto the Financial Year 2019-20, depreciation of assets purchased out of Capital Grant have been treated as Non-Operating income and shown under "Miscellaneous Income".



However, from financial year 2020-21, depreciation of assets purchased out of grant amount has been reduced from the Fixed Assets Value and corresponding amount is also reduced from Assets Fund.

- iii. Cost of Intangible Assets (Software) is amortized on a straight line basis over their useful life of three years as estimated by the Management.
- iv. Items, each costing Rs. 5000 or less, are fully depreciated in the year of acquisition.

3.8 Investments

- a. **Investments:** Fixed deposits with banks which are intended to be held against corpus funds are considered as long term and disclosed under investments.
- b. **Investments of Endowment Fund:** Fixed deposits with banks intended to be held against endowment funds also considered as long term investments and classified under Investment of Endowment Fund.
- c. **Other investments:** Other fixed deposit with banks are classified as cash and cash equivalents as they readily convertible to a known amount of cash and are subject to an insignificant risk of changes in values.

3.9 Employee Benefits

- i. Short Term Benefits: Short term benefits like salary, allowances, ex-gratia, earned leave are recognised as expenses in the year in which related services are rendered.
- ii. Defined Contribution Plan: The Society makes defined contribution to Provident Fund scheme which are recognized in the Statement of Income and Expenditure on accrual basis
- iii. Defined Benefits Plan:
 - a. The Society has been providing its Liability towards Group Gratuity Scheme Policy of its Employees through funds invested with Life Insurance Corporation of India on accrual Basis, based on Actuarial Valuation and with compliance with Accounting Standard-15 (Revised) Employee Benefits.

Provision for Earned Leaves payable to employees is made for the leave which can be accumulated up to 11 days in a year subject to a maximum 66 days in aggregate, beyond which employee may make encashment as per the Society's HR policy. The employees can encash a maximum of 10 days salary as Leave Encashment during the year calculated on Basic+HRA. Provision for Earned Leaves has been provided through investment in Life Insurance Corporation of India on accrual basis on the Balance of Leaves accumulated as on 31st March, 2023.

3.10 Impairment of Assets

The carrying value of assets at each year balance sheet date is reviewed for impairment. If any indication of impairment exists, the recoverable amount of such assets is estimated and



impairment recognised, if the carrying amount of these assets exceeds their recoverable amount. The recoverable amount is greater of the net selling price and their value in use. Value in use is arrived at by discounting the future cash flows to their present value based on an appropriate discount factor.

3.11 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

i. Provisions

A provision is recognised when the entity has a present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation in respect of which a reliable estimate can be made.

ii. Contingent Liability and Assets

Contingent liability is a possible obligation that arise from past events and the existence of which will be confirmed by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the society, or is a present obligation that arises from past events but is not recognised because either it is not probable that an outflow of resource embodying benefits will be required to settle the obligation, or a reliable estimate of the amount of the obligation cannot be made. Contingent liabilities are disclosed and not recognised. Contingent Assets are neither disclosed nor recognised.

3.12 Taxes on Income

No Provision for Income Tax is considered necessary as the Society is registered as a Charitable Institution under section 12A (a) of the Income Tax Act, 1961 and the society is complying with the conditions attached to claim exemption under section 11 and 12 of the Income Tax Act.



Ajay Dandekar
President



Kuldeep Singh
Chief Executive Officer



Sushil Patil
Manager - Finance & Accounts

For Bharat Rural Livelihoods Foundation



1

in the year 2020-21, was not acknowledged by the donor as expenditure and same has been treated as BRLF's own expenses and adjusted in Reserved & Surplus in the financial year 2021-22 which was also ratified by the Finance Audit Committee on dated 11.08.2022.

(ii). BRLF has received grant of Rs.59,13,903/- (USD 75,980) during FY 2022-23 to be spent on Jharkhand Mega Watershed Project against which Rs.49,00,828/- has been spent till 31st March 2023 leaving a balance of Rs.10,13,075/-.

c. BRLF had received a grant of Rs.3,06,65,250/- from Hindustan Unilever Foundation (HUF) on 30.12.2019 for implementing a high impact watershed project in state of Jharkhand.

Subsequently, HUF has approved (vide letter dated 24th January, 2022), the budget to utilize Rs 142 lakhs out of total accumulation of unspent balance till 31st March, 2022 against which BRLF has spent Rs 7.62 lakhs and remaining unspent balance as on 31.03.2022 was Rs. 340.28 Lakhs. Again, BRLF had submitted a revised proposal & budget to HUF for utilization of unspent balance amount lying with BRLF and formal extension was received vide email dated 15.12.2022 for utilisation of the remaining amount till 31st December 2023.

During the year 2022-23, amount of Rs. 26.51 lakhs was spent and interest of Rs. 19.55 lakhs (Previous year Rs. 17.65 lakhs) have been earned on saving bank Account. The remaining unspent balance of Rs. 333.32 lakhs as on 31.03.2023 is lying in the saving Account.

f. Due to change in the Accounting Policy from the FY 2021-22, the un-spent grant balances (net off grant receivable) upto 31st March, 2021 aggregating to Rs 4,32,46,600 has been transferred from Reserves and Surplus (Schedule C) and corresponding liability on account of unspent grant balance Rs 6,16,02,575 has been restored in Unspent Grants (Current Liability)- Schedule B and grant balance receivable of Rs 1,83,55,975 upto 31st March, 2021 has been shown as Grant Receivable (Current Assets)-Schedule B.

Ford Foundation had sanctioned a grant of \$900,000 on 1st June 2019 for implementation of Project "support for grant making to secure living incomes for economically distressed farmers in the state of Chhattisgarh" for a period of 3 years upto 31st July, 2022. BRLF has received and utilize entire amount of \$9,00,000 upto 31st March 2023. No cost extension from 31st July 2022 to 31st March 2023 is awaited. Excess receipts of Rs.11,62,634 has been treated as income - Exchange Gain during the year 2022-23 - Schedule M.

h. Axis Bank Foundation has approved grant of Rs. 1185.93 Lakhs to BRLF for High Impact Mega Watershed Project in Chhattisgarh vide grant MoU dated 30th November 2018 for a period from Oct 2018 to Sept 2022. However, BRLF has received total grant of Rs. 1130.91 lakhs. Hence, there was shortfall by Rs. 55.03 Lakhs in the grant receipts as against the grant sanctioned.

BRLF has incurred aggregate amount of Rs.1137.35 lakhs whereas Audited amount released by Donor is Rs. 1130.91 Lakhs. The shortfall amount of Rs.64.44 Lakhs



BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION
Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001
Schedule Forming Part of Financials as at 31st March, 2023

SCHEDULE-O

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

1. In the opinion of the management.

a. Current Assets are stated at historical cost and would realise the stated values in the ordinary course of business, except otherwise stated.

b. BRLF had received Rs 10,00,00,000/- from Navajbai Ratan Tata Trust and Sir Dorabji Tata Trust contributing Rs. 5,00,00,000/- each towards Tata Trusts Endowment Fund for Institutional Development and Partnerships. As per the grant conditions, the funds entrusted shall under no circumstances be in any manner diminished, drawn out, borrowed upon or merged with any other endowment fund of BRLF or any other organisation, divided, used as collateral, or in any way encumbered or any lien created thereupon or advanced in any manner whatever.

During the year, the Society has earned interest of Rs.91,44,276 /- (PY Rs 89,50,444) on investment of Endowment Fund received from Tata Trusts Endowment Fund for Institutional Development. Out of total interest earned, an amount of Rs.77,64,870/- (PY Rs 77,14,186/-) has been utilized during the year 2022-23 as per the decision taken in the Executive Committee meeting dated 19th December 2014 on the heads of expenditure stated therein.

Interest earned on Endowment Fund as well as expenditure incurred has been directly taken in the Endowment Fund Schedule-B.

c. BRLF had received Rs. 9,95,76,172/- (\$ 1,500,000) from Ford Foundation as Endowment Fund in the year 2016-17. As per grant condition, BRLF would be permitted to utilize a maximum of 90 percent of revenue earned from the Endowment Fund for the purpose to meet the operational cost and the remaining 10% of the Fund's income shall be re-invested in the Fund in annual fixed deposit.

During the year, the Society has earned interest of Rs. 91,45,234/- (Previous Year Rs 89,12,467/-) on the Endowment grant received from Ford Foundation. Out of total interest received, an amount of Rs. 9,09,000/- (Previous Year Rs 8,97,000) will be re-invested in the fund in fixed deposit by BRLF in the subsequent year.

d. (i). FORD Foundation has approved a grant of \$800,000 to BRLF for support for grant making "To reduce risk and increase incomes for tribal farmers in rain-fed regions of Odisha" vide grant MOU dated 15th August, 2018 for a period of 3 years upto 31st August, 2021 and subsequently vide modification dated 29th July, 2021 grant has been reduced to \$ 632,390 with the condition that the remaining grant of USD 75,980 will be spent for Jharkhand Mega Watershed Project by 31st May, 2023 vide modification letter dated 16th June 2022.

BRLF has incurred expenditure aggregating to INR 447.40 lakhs (USD 632,390) whereas grant of INR 394.45 lakhs (USD 556,410) was received till 31st March, 2021. The remaining amount of INR 52.95 lakhs, which was paid to CSO PRADAN



been charged to BRLF's own sources MoRD-Program Cost under Schedule O in the books of accounts.

i. Grants made to CSO Implementing partners are accounted for in the year of expenditure incurred by the concerned partners for implementation of project, awarded under grant agreement, on the basis of quarterly expenditure reports and finally settled on the basis of utilization certificates given by an Independent-Firms of Chartered Accountants or by the Management. At the end of project, if there is any un-utilized grants balance with partners, then it is deducted from the next grants amount to be paid to partners for a new project.

BRLF has disbursed an aggregate amount of Rs 2187.90 lakhs and utilised by the CSO partners aggregate amount of Rs 2237.55 lakhs during the year 2022-23 as per the audited UCs received from other independent firm of chartered Accountants.

Out of total expenses of Rs. 2237.55 lakhs incurred by CSO's, Rs. 1567.85 lakhs was incurred from income out of MORO corpus as reported in "Schedule O" and balance of Rs.669.7 lakhs have been incurred out of the Donor's funds.

Unspent balance lying with CSOs as on 31st March, 2023 is Rs 129.16 lakhs (Previous Year Rs 159.25 lakhs) shown as "Other Current Assets-Schedule L" and amount payable of Rs. 28.52 lakhs (Previous Year Rs 5.79 lakhs) to CSOs as on 31st March, 2023 shown as "Liabilities-Schedule F".

j. Employees Benefits

i) The society is registered with the Regional PF Commissioner, Delhi and is making payment of employer's contribution and employees deductions towards Provident Fund to the Regional PF Commissioner on Regular Basis.

ii) Provision for Gratuity have been calculated on Basic+HRA as advised by FAC to maintain status quo in their meeting held on 22nd December, 2021 upto financial year 2021-22. W.e.f. the financial year 2022-23 provision has been revised and calculated on basic salary only (excluding HRA) on retrospective basis. Claim aggregating to Rs. 32.01 lakhs (6 no.) have been logged & received during the year 2022-23 from LIC of India for gratuity payment to left employees on the basis of Basic+ HRA whereas actual payments aggregating to Rs. 21.34 Lakhs were made with calculation of gratuity on basic salary only. Difference of Rs. 10.67 Lakhs have been kept by BRLF as own Fund and to that extent provisions has been reversed and taken to income in Schedule "Other Income - M".

Total gratuity liability was Rs 32,41,996 (Previous Year Rs 58,95,544) as per actuarial valuation as appearing under the head "Current Liabilities and Provisions-Schedule F". The fund balance as of 31.3.2023 with LIC of India was Rs 31,87,033 (PY Rs 60,26,238) which is shown under the head "Other Current Assets-Schedule L". As such no contribution was paid during the FY 2022-23. The current year gratuity liability is Rs. 1,84,856.

iii) Provisions for Leave Encashment (EL) have been made in respect of all eligible employees as per the policy of the Society and EL benefits have been calculated on Basic Salary plus HRA amount. W.e.f. FY 2021-22, Society has taken group EL scheme for its employees with Life Insurance Corporation of India and provision has



been made in the Statement of Income and Expenditure as per the actuarial valuation done by an Independent Actuary at the end of the Financial Year.

Total leave liability was Rs 13,22,883 (Previous Year Rs 37,24,715) as per actuarial valuation is appearing under the head "Current Liabilities and Provisions-Schedule F". The fund balance as of 31.3.2023 with LIC of India was Rs 8,19,948 (PY Rs 27,24,209) which is shown under the head "Other Current Assets-Schedule L".

- k. BRLF has been issued with a certificate dated 25/05/2022 of 'No deduction of Tax' at source on interest income for the FY 2022-23 by the department under section 197 of Income Tax Act,1961.
- l. The Society is not having any contingent liability as on 31.03.2023.
- m. Figures have been rounded off to nearest rupees.
- n. Corresponding figures of the previous year have been regrouped / rearranged wherever necessary for better presentation and to make them comparable with the figures of the current year.



Ajay Dandekar
President



For Bharat Rural Livelihoods Foundation

Kuldip Singh
Chief Executive Officer

Sushil Pal
Manager-Finance & Accounts







भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन
सी-32, द्वितीय तल, नीति बाग, नई दिल्ली – 110049
दूरभाष संख्या: +91 11 4606 1935 फ़ैक्स: +91 11 4101 3385
ईमेल: info@brlf.in

